पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–23] रुड़की, शनिवार, दिनांक 12 फरवरी, 2022 ई0 (माघ 23, 1943 शक सम्वत्) [संख्या–07

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	319–332	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	75–79	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	15–36	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

मुख्यमंत्री सचिवालय

20 जून, 2016 ई0

संख्या 73/प्र.नि.स./मु.मं/2016–अद्योहस्ताक्षरी के पत्र संख्या 882(1)/पी.पी.एस./सी.एम./2016 दिनांक 10 मार्च, 2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें ग्रामीण मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान [GMVSS] को जारी अनापत्ति के संदर्भ में प्रकाशन हेतु गजट के आगामी अंक में प्रकाशित 50 प्रतियां चेयरमैन, ग्रामीण मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान मुख्य कार्यालय हल्द्वानी को उपलब्ध कराये जाने के संबंध में था।

अतः उपरोक्त आदेशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुये हैं कि उक्त आदेशों को तत्काल प्रभाव से निरस्त समझा जाय।

प्रकाश चन्द्र उपाध्याय,
प्रमुख निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री।

पर्यटन अनुभाग

अधिसूचना/प्रकीर्ण

07 जनवरी, 2022 ई0

संख्या 10/VI(1)/2022-315 (पर्य0)/2001–राज्यपाल भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड पर्यटन सेवा नियमावली, 2013 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्न नियमावली बनाते है, अर्थातः–

उत्तराखण्ड पर्यटन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम नियमावली "उत्तराखण्ड पर्यटन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022" है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 5 के उपनियम (1) खण्ड (ख) में संशोधन

2. उत्तराखण्ड पर्यटन सेवा नियमावली, 2013 में स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 5 के उपनियम (1) का खण्ड (ख) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया प्रस्तर रख दिया जायेगा, अर्थातः–

विद्यमान प्रस्तर स्तम्भ–1	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रस्तर स्तम्भ–2
(ख) संयुक्त निदेशक पर्यटन मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उपनिदेशक पर्यटन में से जिन्होने इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।	(ख) संयुक्त निदेशक पर्यटन मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उपनिदेशक पर्यटन और वरिष्ठ शोध अधिकारी में से जिन्होंने इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

उप निदेशक पर्यटन एवं वरिष्ठ शोध अधिकारी के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों की पारस्परिक ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली,2002 तथा समय–समय पर यथा संशोधित नियमों के अन्तर्गत अवधारित की जायेगी।

आज्ञा से,

दिलीप जावलकर,

सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 10/VI(11/2021-315 (Tourism)/2001,** Dated January 07, 2022 for general information.

January 07, 2022

No. 10/VI(1)/2022-315 (Tourism)/2001-- In exercise of the powers conferred by Proviso of Article 309 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make following rules in view of further amendment in the Uttarakhand Tourism Services Rules, 2013

The Uttarakhand Tourism Services (Amendment) Rules, 2022

Short title & commencement

1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Tourism Services (Amendment) Rules, 2022
(2) It shall come into force at once.

Amendment of Clause (B) of Subrule (1) of rule 5

2. In the Uttarakhand Tourism Services Rules, 2013, the existing clause (B) of sub-rule (1) of rule 5 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be substituted, namely:-

Existing Clause Column-1	**Clause Hereby Substituted Column-2**
(B) Joint Director Tourism: By Promotion on the basis of seniority subject to the rejection of unfit amongst substantively appointed Deputy Director, tourism who have completed two years of service as such.	**(B) Joint Director Tourism:** By Promotion on the basis of seniority subject to the rejection of unfit amongst substantively appointed Deputy Director, tourism and Senior Research Officer who have completed two years of service as such. Inter-se Seniority of the Substantively appointed personnel of Deputy Director, tourism and Senior Research Officer shall be determined on the basis of provisions of the Uttarakhand Government Servant Seniority Rule- 2002 and as amended from time to time.

By Order,

DILIP JAWALKAR,

Secretary.

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें अनुभाग–1

अधिसूचना

07 जनवरी, 2022 ई0

संख्या 20/XIX-1/22-41/2021–राज्यपाल, पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के खण्ड 6 (क)1 के अनुसरण में अधिसूचना संख्या–132, दिनांक–30 अप्रैल, 2019 द्वारा "परिवहन प्रयोजन हेतु उच्च वेग डीजल के साथ मिश्रण के लिए जैव डीजल की बिक्री हेतु अधिसूचित दिशा–निर्देश" के प्रावधानों के सन्दर्भ में निम्नलिखित दिशा–निर्देश को अधिसूचित करते हैं:–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ 1(1) इन दिशा–निर्देशों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड़ परिवहन प्रयोजन हेतु उच्च वेग डीजल के साथ मिश्रण के लिए जैव डीजल की बिक्री हेतु दिशा–निर्देश, 2021 है।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड़ राज्य पर लागू होंगे।

(3) यह दिशा–निर्देश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. उत्तराखण्ड़ परिवहन प्रयोजन हेतु उच्च वेग डीजल के साथ मिश्रण के लिए जैव डीजल की बिक्री हेतु दिशा–निर्देश, 2021:–

i. जैव डीजल (बी–100) की खुदरा बिक्री हेतु अनुमति के लिए प्राधिकृत अधिकारी राज्य के सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी होगें तथा इस कार्य के लिये आवेदन प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करने होंगे।

ii. यह अनुमति केवल जैव डीजल (बी–100) की बिक्री के लिये होगी न कि जैव डीजल मिश्रण (किसी भी प्रतिशतता में) के लिये होगी।

iii. जैव डीजल की बिक्री के लिये खुदरा बिक्री केन्द्र की स्थापना की अनुमति राज्य के सम्बन्धित जिले के सम्बन्धित प्राधिकरणों के अनुसार पंजीकरण/अनुमोदन/अनापत्ति प्रमाणपत्रों की शर्त पर निर्भर करेगी।

iv. इस अनुमति को जैव डीजल की बिक्री वाले स्थल पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा।

v. उपर्युक्त अनुमति के अनुसरण में बेचे जाने वाले जैव डीजल आयातित न होकर स्वदेशी रूप से उत्पादित होना चाहिये।

vi. ग्राहक के ऑटोमोबाइल टैंक में डीजल के साथ मिश्रण हेतु अनुमोदित जैव डीजल की प्रतिशतता को बोर्डो पर प्रमुखता से अंग्रेजी/हिन्दी तथा क्षेत्र की स्थानीय भाषा में प्रदर्शित किया जाना चाहिये। इसके साथ ही, जैव डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र पर प्रमुखता से यह चेतावनी (उपरोक्त बोर्डो के साथ) प्रदर्शित करनी होंगी कि विनिर्धारित प्रतिशतता से अधिक प्रतिशतता में जैव डीजल का इस्तेमाल इंजन को क्षति पहुंचा सकता है।

vii. खुदरा बिक्री केन्द्र के स्वामी/प्रचालक, आपूर्तिकर्ता के ब्यौरों के साथ–साथ सामग्री के खपत और बकाया का रिकार्ड रखेंगे। जैव डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र के स्वामी/प्रचालक इस सामग्री रिकार्ड को हर समय खुदरा बिक्री केन्द्र पर उपलब्ध रखेंगे, ताकि राज्य अथवा केन्द्र सरकार के किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में निरीक्षण किया जा सके।

viii. बायो डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र के स्वामी/प्रचालक अपने आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त कम से कम पिछली तीन आपूर्तियों के नमूने रखेंगे ताकि उपर्युक्त उद्देश्य के लिये प्राधिकृत किसी भी प्राधिकारी द्वारा उनका निरीक्षण और/अथवा जांच की जा सके।

ix. बायो डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र का स्वामी/प्रचालक एक रजिस्टर में बायो डीजल की प्रत्येक बिक्री का स्थायी रिकार्ड रखेगा जिसे दैनिक आधार पर अद्यतन किया जायेगा और यह हर समय जांच के लिये उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा प्रत्येक बिक्री के लिये बिल (डुप्लीकेट में) को जारी किया जायेगा जिसमें बेची गयी मात्रा, प्रभारित दर और बिक्री की तारीख व समय के ब्यौरे देते हुये वाहन संख्या और ग्राहक का नाम/संपर्क दूरभाष को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना अनिवार्य होगा। (बिल की एक प्रति ग्राहक के लिये और एक प्रति खुदरा बिक्री केन्द्र के रिकार्ड के लिये)

x. राज्य में जैव डीजल की बिक्री करने वाले खुदरा बिक्री केन्दों की जांच, प्रवेश, तलाशी, अभिग्रहण आदि के लिये– उत्तराखण्ड़ शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग का कोई अधिकारी जो पूर्ति निरीक्षक के पद से अन्यून हो या राजस्व विभाग का कोई अधिकारी जो नायब तहसीलदार के पद से अन्यून हो या पुलिस विभाग का कोई अधिकारी जो उप निरीक्षक के पद से अन्यून हो या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत तेल कम्पनी कां कोई ऐसा अधिकारी जो विक्रय अधिकारी से अन्यून हो, परिवहन प्रयोजन हेतु उच्च वेग डीजल के साथ मिश्रण के लिये जैव डीजल की बिक्री हेतु दिशा–निर्देश, 2019 के उपबन्धों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से खुदरा बिक्री केन्द्रों की जांच, प्रवेश, तलाशी, अभिग्रहण आदि कर सकेगा।

xi. श्रेणी "बी" पेट्रोलियम उत्पादों के लिये लागू सभी मात्रा और सुरक्षा दूरी सम्बन्धी मानदंड जैव डीजल की बिक्री करने वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों पर लागू होंगे क्योंकि इसे उच्च वेग डीजल के साथ मिश्रित किया जाना होता है जो श्रेणी "बी" पेट्रोलियम उत्पाद है।

xii. यह सुनिश्चित करने के लिये कि जैव डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्र केवल बीआईएस मानकों के अनुरूप जैव–डीजल की बिक्री कर रहे हैं और न कि जैव–डीजल और हाई स्पीड डीजल के मिश्रण अथवा केवल डीजल की बिक्री कर रहे हैं, राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के मिलावटरोधी प्रकोष्ठ को अनाधिकृत और अवैध जैव–डीजल विनिर्माण संयंत्रों, भण्डारण तथा वितरण इकाइयों और खुदरा बिक्री केन्द्रों का निरीक्षण करने, तलाशी लेने और अपने कब्जे में लेने का अधिकार है।

xiii. तेल उद्योग की मोबाइल प्रयोगशालाओं के पास भी जैव–डीजल की बिक्री करने वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों, विनिर्माण संयंत्रों, जैव–डीजल के भण्डारण और वितरण नेटवर्क के निरीक्षण करने का क्षेत्राधिकार होगा।

xiv. राज्य में जैव डीजल (बी–100) के खुदरा विक्रेता द्वारा जिन जैव–डीजल विनिर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं से जैव–डीजल प्राप्त किया जायेगा, उनका ऑनलाईन पंजीयन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की वेबसाईट पर होगा, तत्पश्चात ही इनके द्वारा खुदरा विक्रेता को जैव–डीजल की आपूर्ति की जा सकेगी।

xv. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जैव–डीजल की खुदरा बिक्री हेतु अनुमति नहीं दिये जाने से सम्बन्धित शिकायत का समाधान सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन की अध्यक्षता में गठित अपीलीय प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा, जिसमें आयुक्त, खाद्य तथा सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों के एक–एक प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल होंगे।

xvi. इन दिशा निर्देशों के सम्बन्ध में कोई भी स्पष्टीकरण राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा।

3.अपेक्षित पंजीकरण/अनुमोदन/अनापत्ति प्रमाणपत्र :

i. जिला मजिस्ट्रेट/जिला आयुक्त द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र, जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिये किया जा रहा है।

ii. पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) लाईसेंस, यथा अपेक्षित।

iii. राज्य राज़मार्ग प्राधिकरण।

iv. राज्य के विधिक माप विज्ञान विभाग।

v. राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग।

vi. जिला प्रशासन से वाणिज्यिक भूमि उपयोग प्रमाण–पत्र।

vii. जीएसटी पंजीकरण।

viii. अग्निशमन विभाग, उत्तराखण्ड़।

ix. दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम।

x. राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पर्यावरणीय स्वीकृति।

आज्ञा से,

भूपाल सिंह मनराल,

सचिव,

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग,

उत्तराखण्ड शासन।

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, The Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of the notification **No. 20/XIX1/22-41/2021** Dated January 07, 2022 for general information.

NOTIFICATION

January 07, 2022

No. 20/XIX-1/22-41/2021 -- In reference to the provision of guidelines notified for sale of Bio diesel for blending with high speed diesel for transportation purposes by notification no 132 Dated 30 April, 2019 in compliance of clause 6(A) 1 of Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and Prevention of Malpractices) Order, 2005 (as amended from time to time) of Ministry of Petroleum and Natural Gas, the Governor, notifies the following Guidelines:-

Short title extend and commence

1 (1) These guidelines may be called the Uttarakhand Guidelines for Sale of Biodiesel for Blending with High Speed Diesel for Transportation Purposes, 2021.

(2) The above guidelines shall extend to the whole of Uttarakhand State.

(3) These guidelines shall come into force from the date of their publication in the Gazette.

The Uttarakhand Guidelines for sale of Biodiesel for Blending with High Speed Diesel for Transportation Purposes, 2021

i. Application for permission for retail sale of Biodiesel (B-100) through an outlet by an entity shall be made to the District Magistrate of relevant district and the application would be presented in the office of competent Authority.

ii. The permission shall be granted exclusively for sale of biodiesel (B-100) only and not for any mixture thereof of whatever percentage.

iii. Permission for setting up the retail outlet for sale of biodiesel would be subject to the Registration/Approvals/No Objection Certificates according to the respective Authorities of respective District of State.

iv. This permission shall be displayed prominently at the point of sale of Biodiesel.

v. Biodiesel to be sold in pursuance of aforesaid permission should be indigenously produced and not imported.

vi. Separate boards in English/Hindi and Vernacular language of the region should be prominently displayed at the biodiesel retail outlet displaying the percentage of Biodiesel allowed to be blended with diesel in the customer's automobile tank. Also, there should be clear warning displayed at the biodiesel retail outlet (with above board) that usage of biodiesel with percentage exceeding the prescribed percentage can cause damage to the engine.

vii. The retail outlet Owner/Operator shall maintain the material balance along with supplier details. The biodiesel retail outlet owner/operator shall make available the same at the retail outlet at all times for inspection by any authority authorised for the purpose either by the State or Central Government.

viii. Biodiesel retail outlet owner/operator shall retain samples of at least last three supplies received by them from their suppliers for inspection and/ or testing by any authority authorised for the purpose, as above.

ix. The biodiesel retail outlet owner/operator shall maintain a permanent record of each and every sale of biodiesel made by it in a register which would be updated on a daily basis and be available for inspection at all times. Additionally issuing of bill (in duplicate) for each sale, clearly showing vehicle number and customer name/contact number giving details of quantity sold, rate charged and date and time of sale would be mandatory. (One copy for customer and one for Retail Outlet record.)

x. Any officer of the Food, Civil supplies and Consumer Affairs Department not below the rank of Supply Inspector or any officer of Revenue Department not below the rank of Naib Tahsildar or any officer of Police Department not below the rank of Sub Inspector or the officers of oil company not below the rank of Sales Officer authorised by State government, Shall have the power to carry out regular inspections , entry, search, Seizure etc. of the retail outlets selling biodiesel to ensure that the biodiesel is being made available to the Guidelines for Sale of Biodiesel for Blending with High Speed Diesel for transportation purposes-2019 .

xi. All volume and safety distance norms applicable for Class B Petroleum Products shall be applicable for pumps selling Biodiesel as it is meant for blending with High Speed Diesel which is a Class B Petroleum Product.

xii. To ensure that the Retail Outlets of Biodiesel are selling only Biodiesel conforming to BIS Standards and not mixture of Biodiesel and Diesel or only Diesel, anti-adulteration cells of Public Sector Oil Marketing Companies along with State Government officials are empowered to inspect, search and seize unauthorized and unscrupulous Biodiesel manufacturing plants, the storage and distribution units and Retails Outlets.

xiii. Mobile labs of Oil Industry shall also have the jurisdiction to cover retail outlets selling Biodiesel, manufacturing plants, storage and distribution network of Biodiesel.

xiv. The Retailers of Biodiesel (B-100) shall get Biodiesel from manufacturers and suppliers, shall have to be registered on website of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department Uttarakhand , only after that they can supply Biodiesel to the Retailers .

xv. The Appellate Tribunal , headed by Secretary Food and Civil Supplies Department uttarakhand and one representative of Commissioner Food and Civil Supplies and public sector oil companies shall be a member of Tribunal, shall decide the complaints regarding not giving permission of sale in retail Biodiesel by Competent authority.

xvi. Any clarifications in respect of these guidelines shall be made by the State Government.

3- Registration/Approval / NOC required:

i. No Objection Certificate by District Magistrate/District Commissioner on similar lines as is being done for Retail Outlets of Public Sector Oil Marketing Companies.

ii. Petroleum and Explosives Safety Organisation (PESO) license, as required.

iii. State Highway Authorities.

iv. Legal Measures Department of State .
v. Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department of Uttarakhand State .
vi. Land use certificate of commercial land from District Administration.
vii. GST Registration.
viii. Fire Department Uttarakhand.
ix. Shop and Establishments Act.
x. Environmental Clearance from the Pollution Control Board of the State.

By Order,
BHUPAL SINGH MANRAL,
Secretary.

राजस्व अनुभाग–3

अधिसूचना

07 जनवरी, 2022 ई0

संख्या 20/XVIII(3)/2022-03(22)/2021–राज्यपाल, संयुक्त प्रान्त भू–राजस्व अधिनियम, 1901 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 3, वर्ष 1901) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करते हैं कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित ग्राम सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं के अधीन रहेंगे।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	गावं/मौहल्ले का नाम
1	2	3	4
उत्तरकाशी	मोरी	पुरोला	ओडाटा

आज्ञा से,
रविनाथ रमन,
सचिव, राजस्व।

In pursuance of the provision of clause (3) of the article 348 of the Constitution of India, The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 20/XVIII(3)/2022-03(22)/2021** Dated January 07, 2022 for general information.

NOTIFICATION

January 07, 2022

No. 20/XVIII(3)/2022-03(22)/2021 -- In exercise of the powers conferred by Section 48 of the United Provinces Land Revenue Act, 1901 (U.P.Act No.03 of 1901) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor declare that the Survey and Record Operation in the village mentioned in the Schedule below shall be under Survey and Record Operations with effect from the date of publication of the notification in the official Gazette:-

Schedule

District	Tehsil	Pargana	Name of Village/Mohalla
1	2	3	4
Uttarkashi	Mori	Purola	Odata

By Order,
RAVINATH RAMAN,
Secretary, Revenue.

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग

कार्यालय ज्ञाप/संशोधित

07 जनवरी, 2022 ई0

संख्या 21/VII-3-22/146–एम0एस0एम0ई0/2013–सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 680/VII-3-20/146–एम0एस0एम0ई0/2013 दिनांक 18 जून, 2020 द्वारा निर्गत सूक्ष्य, लघु एवं मध्यम उद्यम क्रियान्वयन आदेश–2015 (यथासंशोधित–2020) विषयक अधिसूचना में योजना के अनुमोदन तथा अनुदान सहायता की स्वीकृति की प्रक्रिया शीर्ष के अन्तर्गत नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान प्राविधानों के स्थान पर स्तम्भ–2 में निम्नानुसार नये प्राविधान/प्रतिस्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

स्तम्भ–1 वर्तमान प्राविधान	स्तम्भ–2 नये प्राविधान
योजना के अनुमोदन तथा अनुदान सहायता की स्वीकृति की प्रक्रियाः सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति में प्रदत्त अनुदान सुविधाओं/रियायतों की स्वीकृति के लिये राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव/सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन निम्नानुसार किया जायेगाः–	**योजना के अनुमोदन तथा अनुदान सहायता की स्वीकृति की प्रक्रियाः** सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति में प्रदत्त अनुदान सुविधाओं/रियायतों की स्वीकृति के लिये राज्य स्तर पर महानिदेशक एवं आयुक्त उद्योग, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन निम्नानुसार किया जायेगाः–
1. प्रमुख सचिव/सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, उत्तराखण्ड शासन – **अध्यक्ष।**	1. महानिदेशक एवं आयुक्त उद्योग, उत्तराखण्ड – **अध्यक्ष।**
2. प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन/लोक निर्माण विभाग/कृषि एवं औद्यानिकी/ऊर्जा/वन एवं पर्यावरण/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/प्राविधिक शिक्षा/खेल एवं क्रीड़ा/खाद्य एवं रसद/आयुष/सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी, जो कि अपर सचिव के स्तर का हो – **सदस्य।**	2. विभागाध्यक्ष, पर्यटन/लोक निर्माण विभाग/कृषि एवं औद्यानिकी/ऊर्जा/वित्त सेवा/ वन एवं पर्यावरण/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/प्राविधिक शिक्षा/खेल एवं क्रीड़ा/खाद्य एवं रसद/आयुष/सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी, जो कि अपर विभागाध्यक्ष के स्तर का हो – **सदस्य।**

3. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन – **सदस्य।**
4. वित्त नियंत्रक, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड – **सदस्य।**
5. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक – **सदस्य।**
6. बैंक/वित्तीय संस्थाओं के राज्य स्तरीय अधिकारी – **सदस्य।**
7. महानिदेशक एवं आयुक्त उद्योग/निदेशक उद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, उत्तराखण्ड – **सदस्य सचिव।**

3. वित्त नियंत्रक, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड – **सदस्य।**
4. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक – **सदस्य।**
5. बैंक/वित्तीय संस्थाओं के राज्य स्तरीय अधिकारी – **सदस्य।**
6. निदेशक उद्योग, उत्तराखण्ड – **सदस्य सचिव।**

2. यह आदेश उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,
सचिव।

पर्यटन

अधिसूचना/प्रकीर्ण

07 जनवरी, 2022 ई0

संख्या 26/VI(1)/2022–117 (पर्य0)/2001–राज्यपाल, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम, 2001 की धारा 20 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना नियमावली, 2002 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है, अर्थात् :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) **इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना (संशोधन) नियमावली 2021" है।**

(2) **यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।**

नियम 8 का संशोधन 2. वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना नियमावली–2002 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 8(1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया प्रस्तर रख दिया जायेगा, अर्थातः–

विद्यमान प्रस्तर **स्तम्भ–1**	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रस्तर** **स्तम्भ–2**
8– राजकीय सहायता दिये जाने की अन्य शर्तें:–	8– राजकीय सहायता दिये जाने की अन्य शर्तें:–

1—राजकीय सहायता का भुगतान नियम—9 के अधीन गठित समिति द्वारा की गयी सिफारिश के आधार पर एकमुश्त राशि के रूप में योजना पूर्ण होने पर सम्बन्धित बैंक शाखा जहां के आवेदक द्वारा ऋण लिया गया है को यथासमय एक माह के भीतर सम्बन्धित जिला पर्यटन विकास अधिकारी एवं सम्बन्धित शाखा बैंक प्रबन्धक अथवा उनका प्रतिनिधि जिनके द्वारा आवेदक को ऋण निर्गत किया गया है के संयुक्त निरीक्षण एवं परियोजना पूर्ण होने की पुष्टि के उपरान्त किया जायेगा।	1—राजकीय सहायता की धनराशि लाभार्थी से सम्बन्धित बैंक को उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद के आहरण वितरण अधिकारी द्वारा सीधे ऑनलाईन हस्तान्तरित की जायेगी। शासन से योजना हेतु स्वीकृत धनराशि का आहरण पर्यटन मुख्यालय के आहरण वितरण अधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा धनराशि को उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद जो कि क्रियान्वयन विभाग है, के नाम से पृथक से बैंक खाता खोलकर रखी जायेगी। राजकीय सहायता का भुगतान जिला पर्यटन विकास अधिकारी एवं सम्बन्धित शाखा बैंक प्रबन्धक अथवा उनका प्रतिनिधि जिनके द्वारा आवेदक को ऋण निर्गत किया गया है के संयुक्त निरीक्षण एवं परियोजना पूर्ण होने की पुष्टि एवं सम्बन्धित जिलाधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त दी जायेगी।

आज्ञा से,

दिलीप जावलकर,
सचिव।

पशुपालन अनुभाग—3 (मत्स्य)

कार्यालय—ज्ञाप

07 जनवरी, 2022 ई0

संख्या 1057/XV-3/2021—11(07) 2021—T.C—मत्स्य विभागान्तर्गत संयुक्त निदेशक (वेतनमान रु0 78800—209200/—लेवल—12) के पद पर चयन हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के आधार पर श्री गणेश चन्द्र जोशी, उप निदेशक, मत्स्य, को नियमित चयनोपरान्त संयुक्त निदेशक, मत्स्य के पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से संयुक्त निदेशक, मत्स्य के पद पर पदोन्नत करते हुए संयुक्त निदेशक, मत्स्य निदेशालय, देहरादून के पद पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— उक्त के अतिरिक्त श्री गणेश चन्द्र जोशी अग्रिम आदेशों तक उप निदेशक, मत्स्य, पौड़ी गढ़वाल के पद का निर्वहन भी पूर्ववत् करते रहेंगे।

3– सेवा नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत श्री गणेश चन्द्र जोशी को संयुक्त निदेशक के पद पर 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है।

4– यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आज्ञा से,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1

अधिसूचना

नियुक्ति

31 दिसम्बर, 2021 ई0

संख्या 1602/XXVIII–1/21–01(26)2021–उत्तराखण्ड प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत साधारण ग्रेड चिकित्साधिकारियों के रिक्त 359 बैकलॉग पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप की गई संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल महोदय संलग्न सूची में उल्लिखित कुल 82 चयनित अभ्यर्थियों को साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारी के पद पर वेतनमान ₹ 56,100–1,77,500 लेवल–10 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थाई रूप से नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) संलग्न सूची में उल्लिखित अभ्यर्थियों द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,उत्तराखण्ड देहरादून के समक्ष अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत की जायेगी। योगदान दिये जाने के पश्चात नव नियुक्त चिकित्सकों के समस्त वांछित प्रपत्र/प्रमाण पत्रों का सत्यापन महानिदेशक द्वारा कराया जायेगा। साथ ही अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के चयनित नवनियुक्त चिकित्सकों के जाति प्रमाण पत्र की जांच भी संबधित शासनादेश द्वारा निर्धारित प्राविधानों के अनुसार महानिदेशक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) चयनित चिकित्साधिकारियों का चरित्र एवं पूर्व–वृत्त सत्यापन पृथक से महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा कराया जायेगा। यदि संबंधित चिकित्साधिकारी का चरित्र एवं पूर्व–वृत्त सेवा में नियुक्ति हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति तात्कालिक प्रभाब से निरस्त समझी जायेगी एवं इसकी सूचना महानिदेशक द्वारा तत्काल शासन को प्रेषित की जायेगी।

(3) उक्त नवनियुक्त चिकित्सकों का स्वास्थ्य परीक्षण राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इस संदर्भ में नवनियुक्त चिकित्सक अपने नियुक्ति पत्र सहित महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से सम्पर्क कर यथानिर्देश स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित होगें। महानिदेशालय द्वारा नव नियुक्त चिकित्सकों का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र संबंधित अधिकारी को उपलब्ध करा दिया जायेगा, किन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा अस्थाई रूप से अयोग्य घोषित किये गये नवनियुक्त चिकित्सकों के प्रकरण अग्रेत्तर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु शासन को संदर्भित किये जायेंगे।

(4) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय–समय पर जारी शासनादेशों के अंतर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।

(5) नियुक्त साधारण ग्रेड चिकित्साधिकारी 15 दिन के भीतर अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने हेतु योगदान प्रस्तुत करेगें, निर्धारित अवधि के भीतर योगदान प्रस्तुत न करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन स्वतः समाप्त माना जायेगा।

(6) योगदान हेतु नव नियुक्त चिकित्सकों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा।

(7) नव नियुक्त चिकित्सकों को कार्यभार ग्रहण से पूर्व निम्न प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे :–

(i) स्वयं के विरूद्ध अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में एक घोषणा–पत्र।

(ii) उत्तराखण्ड मेडिकल काउन्सिल द्वारा निर्गत स्थाई पंजीकरण की दो प्रतियां।

(iii) ओथ एलीजियन्स का प्रमाण–पत्र।

(iv) गोपनीयता का प्रमाण–पत्र।

(v) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण–पत्र।

(vi) लिखित रूप से एक अन्डरटेकिंग कि यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के पश्चात उन्हे सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसके लिए वे किसी क्षतिपूर्ति के हकदार नही होंगे।

(vii) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का घोषणा–पत्र।

(viii) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र।

(ix) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण

2:– नव नियुक्त चिकित्साधिकारियों की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड, चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से प्राप्त वरिष्ठता क्रम के आधार पर सुसंगत नियमों के अनुसार पृथक से अवधारित की जायेगी।

3:– मौलिक रूप से नियुक्त उक्त चिकित्साधिकारियों को उत्तराखण्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2014 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

4:– महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा यह देख लिया जाए की चयनित नवनियुक्त चिकित्सक उत्तराखण्ड मेडिकल काउन्सिल में पंजीकृत है तथा उनके मेडिकल काउन्सिल प्रमाण–पत्र एवं स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा के प्रमाण–पत्र का मूल रूप से जांच कर, इन प्रमाण–पत्रों की दो–दो प्रतियां स्वयं प्रमाणित कर उत्तराखण्ड शासन एवं उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को उपलब्ध कराया जाय।

5:– नवनियुक्त चिकित्साधिकारियों के सम्बंध में महानिदेशालय से योगदान की सूचना/सूची शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। महानिदेशालय में योगदान करने के पश्चात नवनियुक्त चिकित्सकों को विभिन्न जनपदों/चिकित्सालयों में तैनाती के आदेश पृथक से शासन द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

डा0 पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 07 हिन्दी गजट/135–भाग 1–2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 12 फरवरी, 2022 ई0 (माघ 23, 1943 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

September 10, 2021

No. 326/XIV-a/38/Admin.A/2012--Ms. Shachi Sharma, Civil Judge (Sr. Div.), Vikasnagar, District Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 20 days *w.e.f.* 09.08.2021 to 28.08.2021 with permission to prefix 08.08.2021 as Sunday holiday & suffix 29.08.2021 as Sunday & 30.08.2021 as Janmashtami holiday respectively.

NOTIFICATION

October 29, 2021

No. 5225/XIV-14/Admin.A/2008--Shri Manoj Kumar Dwivedi, Additional Chief Judicial Magistrate (Railways), Haldwani, District Nainital, is hereby sanctioned earned leave for 20 days *w.e.f.* 04.10.2021 to 23.10.2021 with permission to prefix 02.10.2021 as Mahatma Gandhi Jayanti, 03.10.2021 as Sunday holiday and suffix 24.10.2021 as Sunday holiday respectively.

NOTIFICATION

December 31, 2021

No. 395/XIV-a-15/Admin.A/2009--Shri Bhavdeep Ravtey, Chief Judicial Magistrate, Almora is hereby sanctioned earned leave for 08 days *w.e.f.* 13.12.2021 to 20.12.2021.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

CHARGE CERTIFICATE

(Handing over)

January 03, 2022

No. 16/UHC/Admin.A/2022--CERTIFIED that the charge of the office of Superintendent of Police (Vigilance), Vigilance Cell, High Court of Uttarakhand, Nainital has been handed over by the undersigned in the afternoon of January 03, 2022, pursuant to the Notification No. 391/UHC/Admin.A/2021 dated 28.12.2021 of High Court of Uttarakhand, Nainital.

Relieved Officer AMIT SRIVASTAVA-II

I.P.S.

Countersigned,

DHANANJAY CHATURVEDI,

Registrar General,

High Court of Uttarakhand

Nainital.

NOTIFICATION

07th January, 2022

No. 01/UHC/Admin.B/2022--Having considered the imminent danger to human life by spread of COVID-19 virus and alarming rise in number of persons affected thereby, in view of the health guidelines issued by the Government of India and the State Government, for safety of the litigants, advocates, officers and staff of the Hon'ble Court, Hon'ble the Acting Chief Justice is pleased to issue following directions for transaction of business in the Hon'ble High Court w.e.f. 10.01.2022 (Monday).

1. Till further orders, only following types of cases will be taken up by the Hon'ble Court-

   (A) All fresh matters.

   (B) Pending matters of following category-

   (a) Bail Applications.

   (b) Writ Petitions Criminal (WPCRL).

   (c) Criminal Miscellaneous Application u/S 482 CrPC.

   (d) Writ Petitions (Habeas Corpus).

   (e) Writ Petitions seeking relief against eviction, ejectment, dispossessions from property, or its demolition.

   (f) Writ Petitions seeking relief against attachment, auction or any similar legal recourse affecting the property.

   (g) Special Appeals, where applicable, against the orders passed in aforesaid matters.

   (h) Urgency applications.

   (i) Any other matter, as per directions, on being mentioned before the respective bench.

2. All the matters shall be taken up exclusively through video conferencing.

3. Where print out of a judgment/order, uploaded in CIS/NJDG is present before any Court/Tribunal subordinate to the High Court, or before any Authority or Person, the authenticity of such judgment/order shall be ascertained by such Court/Tribunal/Authority/Person by comparing the same with the judgment/order uploaded in the CIS/NJDG, and where the authenticity has been so ascertained, the said Court/Tribunal/Authority/Person shall not press for the certified copy, and shall act, as if the print out, so presented, is the certified copy.

4. All pending matters will stand adjourned, notwithstanding they are dates fixed.

By Orders of the Acting Chief Justice,

Sd/-

Registrar General.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, AT NAINITAL

NOTIFICATION

07th January, 2022

No. 02/UHC/Admin.B/2022--Having assessed the COVID affected cases in all the districts of the State and issues related thereto, in view of the health guidelines issued by the Government of India and the State Government and keeping in view the safety of litigants, advocates, officers and staff of the Subordinate Courts, Hon'ble Court is pleased to issue following directions for conduct of work in the Subordinate Courts w.e.f. 10.01.2022 (Monday).

1. Till further orders, Subordinate Courts of Dehradun (except Chakrata outlying court), Haridwar and Udham Singh Nagar along with outlying Courts at Haldwani, Ramnagar, Kotdwar and Tanakpur will take up following matters only—
   - (a) Remand, and all bail applications (fresh or pending)
   - (b) Applications for release of property
   - (c) Applications under Section 156 (3) of the Code of Criminal Procedure, 1973
   - (d) Applications for temporary injunctions/stay
   - (e) Applications for interim maintenance
   - (f) Applications for issue of succession certificates
   - (g) Matters under section 13B of the Hindu Marriage Act, 1955
   - (h) Applications for settlement of dispute by compromise
   - (i) Matters relating to investigation by the Police
   - (j) Final arguments, where both the parties are ready
   - (k) Any extreme urgent matter arising from extraordinary circumstances. For hearing in such matter, request along with the facts that matter cannot wait till this Notification is in force, shall be e-mailed and the Jurisdiction Court by passing a speaking order, deems it fit and appropriate to take up the matter.
2. The remaining subordinate Courts will take all the routine matters.
3. All matters, mentioned above, shall be taken up exclusively through video conferencing.
4. For convenient enforcement of this Notification, District Judges may give such directions, which they may deem fit and appropriate and are not inconsistent with the Notification for their respective Judgeships.

5. In these orders, in relation to the Family Courts, the word 'District Judge' shall be read as 'Principal Judge/Judge, In-charge', Family Courts.

By Orders of Hon'ble Court,

Sd/-

Registrar General.

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

07 दिसम्बर, 2021 ई0

संख्या 1084/अधिष्ठान/दो–145/2021–विभागीय पदोन्नति चयन समिति की संस्तुति दिनांक 03–12–2021 के क्रम में परिवहन आयुक्त कार्यालय संवर्ग के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रशासनिक अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, वेतनमान 47600–151100, वेतन स्तर–8 के पद पर पदोन्नत किया जाता है:–

(1) श्री विपिन चन्द रमोला

(2) श्री हर्षमणी सेमवाल

2– उक्त पदोन्नति पूर्णतः अस्थायी है एवं सम्बन्धित कार्मिकों को किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के उनके मूल पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

रणवीर सिंह चौहान,
परिवहन आयुक्त।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 07 हिन्दी गजट/135–भाग 1–क–2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 12 फरवरी, 2022 ई0 (माघ 23, 1943 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगर पालिका परिषद मसूरी,

ठोस अपशिष्ठ प्रबन्ध–2016 के अनुसार प्रस्तावित उपविधि

19 जुलाई, 2019 ई0

पत्रांकः 1316/ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन/2019–20–नगर पालिका अधिनियम 1916 (अनुकूल एंव रूपान्तरण आदेश–2002) अनुकूल एवं रूपान्तरण आदेश–2007 की धारा 298 "झ" एवं पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29)/ 166 की धारा 3,6 एवं 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केन्द्र सरकार द्वारा बनायी गयी ठोस कचरा प्रबन्धन नियमावली 2016 के नियम 15(ड़), 15(च) एवं 15(यच) के अन्तर्गत शक्तियों के प्रयोग में नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा बनाए गए निम्नलिखित ठोस कचरा प्रबन्धन के लिए उपविधियों को अपने क्षेत्राधिकार में नगर पालिका परिषद के अधिवेशन/बोर्ड बैठक दिनांक 08/08/2019 प्रस्ताव संख्या यू0आर0–15–158 के माध्यम से सदन के सम्मुख रखा गया। नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 301(1) के अन्तर्गत जनसामान्य अथवा जिस पर इस उपविधि का प्रभाव पडने वाला हो उनसे आपत्ति हो उनसे आपत्ति एवं सुझाव आमत्रित किये जाने हेतु विशेष संकल्प से पारित हुआ। जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति/सुझाव प्रकाशन तिथि के एक माह के अन्दर नगर पालिका परिषद मसूरी के कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले किसी भी आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा।

ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन उपविधि.2019

अध्याय-1

सामान्य

1) संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख: (1)ये उप-नियम नगर पालिका परिषद मसूरी ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन उप-नियम 2019कहलाएंगे।
2) ये उप-नियम नगर पालिका परिषद मसूरी के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।
3) नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन उपविधि 2015, गजट नोटिफिकेशन 02 जनवरी 2018 द्वारा प्राख्यापित उपविधि नगर पालिका परिषद मसूरी ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन उप-नियम, 2019 लागू होने की तिथि से स्वत: समाप्त हो जायेगी।

2. ये उप-नियम नगर पालिका परिषद, मसूरी की सीमाओं के भीतर लागू होंगे।

3. **परिभाषाएं**

1. जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस उप-नियमों में निम्नांकित परिभाषाएं लागू हैं:-

(क) "बल्क उद्यान और बागवान कचरा" का अर्थ हैं, उद्यान, बागो आदि से उत्सर्जित बल्क कचरा जितमें घास, कतरन, खरपतवार, कार्बन युक्त काष्ठ ब्राउन सामाग्री जैसे पेड़ों की छटाई से उत्पन्न कचरा, पेड़ों की कटिंग, टहनियां, लकड़ी की कतरन, भूसा, सूखी पत्तियां, पेड़ों की छटाई आदि से उत्पन्न ठोस कचरा, जो दैनिक जैव अपघटीय कचरे के संकलन में समायोजित नहीं किया जा सकता हैं।

(ख) "बल्क कचरा उत्सर्जन का अर्थ हैं कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 (जिसे बाद में यहाँ एस. डब्ल्यू. एम. नियम कहलाऐगा) के नियम 3(1)(8) के अंतर्गत परिभाषित बल्क कचरा उत्सर्जक और सम्बद्वनिकाय के अधिशासी अधिकारी या उससे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अधिसूचित ठोस कचरा उत्सर्जक ;

(ग) "संग्रह" का अर्थ है, कचरा उत्सर्जन के स्रोत से ठोस कचरे को उठाना और संग्रहण बिंदुओं या किसी अन्य स्थान तक पहुंचाना;

(घ) "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ है नगर पालिका परिषद मसूरी का अध्यक्ष एवं अदिशासी अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी/ कर्मचारी।

(ड)"निर्माण एवं विध्वंस कचरा" का वही अर्थ होगा, जो निर्माण एवं विध्वंस कचरा नियम 2016 नियम 3(1)(ग) में परिभाषित किया गया है।

(च) "स्वच्छ क्षेत्र" का अर्थ है, किसी परिसर के सामने और चारों ओर या निकटवर्ती फुटपाथ तक विस्तारित स्वच्छ सार्वजनिक स्थल, जिसमें नाली, फुटपाथ और पटरी के किनारे शामिल है, जिनका रख-रखाव इन उपनियमों के अंतर्गत किया जाना है।

(छ) **"सामुदायिक कूड़ा घर (ढलाव)"** का अर्थ है, नगर पालिका परिषद द्वारा स्थापित और संचालित अथवा एक या अधिक परिसरों के मालिकों और / या अधिभोगियों द्वारा मिलकर सड़क किनारे / ऐसे मालिकों /अधिभोगियों के किसी एक परिसर में अथवा समक्ष अधिकारी द्वारा अधिकृत उनके साझा परिसर के पृथक्कृत ठोस कंचरे के संग्रहण के लिए स्थापित और संचालित कोई संग्रह केंद्र;

(ज) **"कंटेनराइज्ड हैड कार्ट"** का अर्थ है, ठोस कचरे के बिंदु दर बिंदु संग्रह हेतु नगर पालिका परिषद या उसके द्वारा नियुक्त एजेंसी/एजेंट द्वारा प्रदत ठेला

(झ) **"सुपुर्दगी"** का अर्थ है किसी भी श्रेणी के ठोस कचरे को नगर पालिका परिषद के वर्कर या ऐसे कचरे को सुपुर्दगी के लिए नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा नियुक्त प्राधिकृत या लाइसेंस प्रदत्त व्यक्ति को सौंपना अथवा उसे नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा अधिकृत लाइसेंस प्रदत्त एजेंसी द्वारा प्रदान किए गये वाहन में डालना।

(ञ) **" ई-कचरा"** का अर्थ वही होगा, जो ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2016 के नियम 3(1)(आर) में निर्दिष्ट किया गया है।

(ट) **"फिक्स्ट कम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन (एफसीटीएस)** " का अर्थ है , एक ऊर्जा चालित मशीन, जिसका डिजाइन बिखरे हुए ठोस कचरे को कम्पैक्ट करने के लिए किया गया है और प्रचालन के समय स्थिर रहती है।प्रचालन के समय कम्पैक्टर मोबाईल भी हो सकती, जिसे मोबाईल ट्रांसफर स्टेशन (एमटीएस) कहा जा सकता है।

(ठ) **" कूड़ा कचरा "** का अर्थ है, सभी प्रकार का कूड़ा और उसमें कोई भी ऐसा कचरा पदार्थ शामिल जिसे फैंकना अथवा संग्रह करना इन उप- नियमों के अंतर्गत प्रतिबंधित है और ऐसा करने से किसी व्यक्ति जीव- जंतु को परेशानी होने या पर्यावरण अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के प्रति खतरा पहुंचाने की आशंका हो ।

(ड) **" गंदगी फैलाने "** का अर्थ है, किसी ऐसी बस्ती में गंदगी उत्सर्जित करना, डालना दबाना अथवा ततसंबंधित अनुमति देना, जहां वह गिरती, ढलती,बहती, धुलकर, रिसकर अथवा किसी अन्य तरीके से पहुंचाती हो अथवा गंदगी के उत्सर्जित होने, बहकर आने ,धुल कर आने या अन्य किसी तरह से खुले या सार्वजनिक स्थल पर आने की आशंका हो।

(ढ) " **स्वामी** " का अर्थ है, जो किसी भवन, या भूमि या किसी भाग के मालिक के रूप में अधिकारों का इस्तेमाल करता है;

(ण) " **अधिभोगी / पट्टेदार** " का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन या किया उसके हिस्से का अधिभोगी /पट्टेदार हो, इसमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं, जो तत्समय किसी प्रयोजन के लिए किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का इस्तेमाल कर रहा हैं।

(प) " **पैलेटाइजेशन** " का अर्थ है, एक प्रक्रिया, जिसमें पैलेट तैयार की जाती हैं, जो ठोस कचरे से बने छोटे क्यूब अथवा सिलिंडरीकल टुकड़े होते हैं; और उनके ईंधन पैलेट्स भी शामिल होते हैं, जिन्हें रिफ्यूज डेराइब्ड ईंधन कहा जाता हैं।

(फ) " **निर्धारित** " का अर्थ एस.डब्यू.एम. नियमों और / या इन उपनियमों द्वारा निर्धारित;

(ब) **"सार्वजनिक स्थल"** का अर्थ है, कोई ऐसा स्थान, जो आम लोगों के इस्तेमाल और मनोरंजन के लिए सहज सुलभ है, भले ही वह वास्तव में लोगों द्वारा इस्तेमाल या उपभोग किया जा रहा हो या नहीं;

(भ) **"संग्रहण"** का अर्थ है ठोस कचरे को अस्थायी तौर पर इस तरह से संग्रह करना जिससे गंदगी न फैले और मच्छर आदि कीटों, आवारा पशुओं और अत्यधिक बदबू का प्रकोप रोका जा सके;

(म) **"सैनेटरी वर्कर"** का अर्थ है, नगर पालिका परिषद मसूरी के क्षेत्र में ठोस कचरा एकत्र करने या हटाने अथवा नालियों को साफ करने के लिए नगरपालिका परिषद / एजेंसी द्वारा नियोजित व्यक्ति;

(य)" **शेड्यूल**" का अर्थ है, इन उप नियमों से सम्बद्ध शेड्यूल;

(र) " **इस्तेमालकर्ता शुल्क / प्रभारी**" का अर्थ है, नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा समय-समय पर समक्ष प्राधिकारी के सामान्य या विशेष आदेश के जरिए कचरा उत्सर्जक पर लगाया गया शुल्क या प्रभार, ताकि ठोस कचरा संग्रह ढुलाई,प्रोसेसिंग और निपटाना सेवाओं के आंशिक अथवा पूर्ण लागत कवर की जा सके।

(ल) **"खाली प्लस"** का अर्थ है, प्राइवेट पार्टी / व्यक्ति / सरकारी एजेंसी के सम्बद्ध कोई ऐसी भूमि या खुला स्थान, जिस पर किसी का कब्जा ना हो;

(2) यहां प्रयुक्त लेकिन परिभाषित न किए शब्दों और अभिव्यक्तियों, का अर्थ वही होगा, जो ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 और निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबन्ध नियम 2016 अभिप्रेत होगा।

अध्याय 2

ठोस कचरे का स्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण

ठोस कचरे का स्रोत पर पृथक्कीकरण और संग्रहण

i.सभी कंचरा उत्सर्जको के लिए अनिवार्य होगा कि वे उनके स्वयं के स्थलों से उत्सर्जित होने वाले ठोस कचरे को नियमित रूप से पृथक करें और उसे उन्हें संगृहित करें। यह पृथक्कीकरण मुख्य रूप से निम्नांकित 3-वर्गों में किया जायेगा:-

(क) गैर-जैव अपघटीय या सूखा कचरा

(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा

(ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा, और तीनो श्रेणियों के कचरे को कवर्ड कचरा डिब्बो में रखा जाएगा तथा समय-समय पर जारी नगर पालिका परिषद मसूरी के निर्देशों के अनुसार पृथक्कीकृत कचरे को निर्दिष्ट कचरा संग्रहकर्ताओं को सौंपेगा।

ii. प्रत्येक बल्क कचरा उत्सर्जक के लिए अनिवार्य होगा कि वह स्वयं के स्थलों पर उत्सर्जित ठोस कंचरे को पृथक करें और उसे संगृहित करें निम्नांकित 3 वर्गों में:-

(क) गैर-जैव अपघटिय या खुश्क कचरा

(ख) जैव अपघटिय या गीला कचरा

(ग) **उपयुक्त कूड़ेदानों में जोखिमपूर्ण कचरा,** जैविक (गीला) कंचरे को अपने परिसर में प्रोसेस कर कम्पोस्ट या बायोगैस आदि तैयार करना एवं पृथक्कीकृत कंचरे को अधिकृत कंचरा संग्रहण एजेंसी के जरिए अधिकृत कचरा प्रसंस्करण अथवा निपटान केंद्रों या संग्रहण केंद्रों को सौपेगा और उसके लिए नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा समय-समय पर निर्धारित ढुलाई शुल्कों का भुगतान अधिकृत कंचरा संग्रह एजेंसी को करेगा।

iii.पृथक किए गये कचरे के संग्रहण के लिए कूड़ेदानों का रंग इस प्रकार होगा:-

हरा:- जैव अपघटिय कचरे के लिए;

नीला:- गैर-जैव अपघटिय या खुश्क कचरे के लिए;

काला:- घरेलू जोखिम पूर्ण कचरे के लिए

iv.सभी निवासी कल्याण और बाजार संगठन, नगर पालिका परिषद मसूरी की भागीदारी से यह सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा स्रोत पर कचरे का पृथक्कीकरण किया जाए, पृथक किए गए ठोस कचरे को अलग-अलग डिब्बों में संगृहित किया जाए और फिर से इस्तेमाल करने वालों को सौंपी जाए। जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कंपोस्टिंग अथवा बायो मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे कंचरे को नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा निर्देशित कंचरा संग्राहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

v.5000 वर्गमीटर क्षेत्र से अधिक्क क्षेत्र कब्जा रखने वाले सभी द्वारबंद समुदाय तथा संस्थान नगर पालिका परिषद मसूरी की भागीदारी के साथ सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा कचरे का स्रोत पृथक्कीकण हो, पृथक किए गए कचरे को अलग-अलग डिब्बों में रखेंगे और पुन: उपयोग आने वाली सामग्री को अधिकृत कूड़ा संग्रहकर्ताओं या अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वाले को सौंपेंगे। जैव अपघटिय कचरे की प्रोसेंसिग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे कचरे को नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

vi.सभी होटल और रेस्त्रां ,नगर पालिका परिषद मसूरी की भागीदारी से कचरे का स्त्रोत पर पृथक्कीकरण सुनिश्चित करेंगे, पृथक किए गए गये ठोस कचरे को अलग-अलग डिब्बे में संग्रहीत करेंगे और फिर से इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री अधिकृत कचरा संग्रहकर्ताओं अथवा अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वालों को सौंपेंगे। जैव अपघटिय कचरे के प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इसे बचे हुए कचरे को नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

vii.कोई व्यक्ति गैर लाइसेंसी स्थान पर कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगा, जिसमें 100 से अधिक व्यक्ति एकत्र हों, ऐसा करने के लिए यह जरूरी होगा कि अनुसूची में निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क का भुगतान करते हुए नगर पालिका परिषद मसूरी को कम से कम 3 कार्य दिवस अग्रिम लिखित जानकारी देनी अनिवार्य होगी और ऐसा व्यक्ति या आयोजक यह सुनिश्चित करेगा कि ठोस कंचरे को स्रोत पर अलग-अलग किए जाए, ताकि नगरपालिका परिषद मसूरी द्वारा निर्धारित संग्रहकर्ता या एजेंसी को सौंपा जा सकें।

viii.सेनिटरी उत्पादों से उत्सर्जित कचरे को तत्सम्बन्धी विनिर्माताओं या ब्रॉड मालिकों द्वारा प्रदान किए गए पाउचों अथवा अखबारों या उपयुक्त जैव अपघटीय संलेपन सामग्री में सुरक्षित तरीके से संलेपित किया जाए और उसे गैर-जैव अपघटिय या खुश्क कचरे के लिए बनाए गए कूड़ेदान में रखा जाना चाहिए।

ix. प्रत्येक गली विक्रेता अपने क्रियाकलाप के दौरान उत्सर्जित होने वाली खाद्य सामग्री, निपटान योग्य प्लेटे, डिब्बे , रैपर्स, नारियल के खोल, बचा हुआ भोजन, सब्जियां, फल आदि को अलग-अलग करके उपयुक्त कूड़ेदानों में संग्रहित करेगा और उसे नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा अधिसूचित डिपो या कंटेनर या वाहन को ही सौंपेगा ।

x. उद्यान और बागवानी के कचरा उत्सर्जक अपने परिसर में उत्सर्जित कचरे को अलग से एकत्र करेंगे और समय-समय पर नगर पालिका परिषद मसूरी के निर्देशों के अनुसार उसका निपटान करेंगे।

xi. घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्रत्येक कचरा उत्सर्जक द्वारा स्टोर किया जाएगा और उसे नगर पालिका परिषद मसूरी या उसके द्वारा अथवा उत्तराखण्ड सरकार या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा ऐसे कचरे का संग्रह के लिए सप्ताहिक/ समय- समय पर उपलब्ध कराए गए वाहन तक पहुंचाया जाएगा अथवा ऐसे कचरे को उत्तराखण्ड सरकार या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित तरीके से निपटान के लिए निर्दिष्ट कचरा संग्रह केंद्र तक पहुंचाया जाएगा।

xii. निर्माण कार्यों और भवनों को ढहाए जाने से उत्सर्जित कचरा, निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार अलग से एकत्रित और निपटान किया जायेगा।

xiii. बायो मेडिकल कचरा, ई- कचरा, जोखिमपूर्ण रासायनिक एवं औद्योगिक कचरा बिना उपचारित किए ठोस कचरे में मिश्रित नहीं किया जाएगा । ऐसे कचरे का निपटान पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम,1986 के अंतर्गत बनाए गए तत्संबंधी नियमों के अनुसार किया जाएगा।

xiv. निर्दिष्ट बूचड़खानों और बाजारों को छोड़कर अन्य परिसरों के प्रत्येक ऐसे मालिक/ कब्जाधारी, जो किसी वाणिज्यक गतिविधि के परिणाम स्वरूप पोल्ट्री, मछली और पशुवध संबंधी कचरा उत्सर्जित करते हो, उन्हें ऐसे कचरे को अलग से बंद कंटेनर में स्वास्थ्यकर स्थिति में एकत्रित करना होगा और रोजमर्रा के आधार पर निर्दिष्ट समयानुसार नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए कचरा वाहन/ स्थल तक पहुंचाना होगा। ऐसे कचरे को सामुदायिक कूड़ा घरों में डालना निषेध होगा।

xv. पृथक किए गए जैव अपघटिय ठोस कचरे को यदि उत्सर्जकों द्वारा कम्पोस्ट ना किया गया हो, तो उसे उन्हें अपने परिसर में अलग से एकत्र करना होगा और उसकी डिलीवरी निकाय के श्रमिक/ वाहन/ कंचरा एकत्रितकर्ता/ कंचरा संग्रहकर्ता अथवा बल्क में जैव अपघटिय कचरा उत्सर्जित करने वाले निर्दिष्ट वाणिज्यिक उत्सर्जकों के लिए प्रदान कराए गए कंचरा संग्रह वाहन तक पहुंचाया जाएगा। यहां सुपुर्दगी समय-समय पर अधिसूचित समयानुसार करनी होगी।

अध्याय 3

ठोस कचरा का संग्रह

5. ठोस कचरे का संग्रह निम्नांकित अनुसार किया जाएगा -

i.नगर पालिका परिषद मसूरी के सभी क्षेत्रों या वार्डो में पृथक किए गए ठोस कंचरे को घर-घर जाकर संग्रह करने के बारे में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमों का अनुपालन किया जाएगा, जिनके अनुसार मलिन और अनौपचारिक बस्तियाँ सहित दैनिक आधार पर प्रत्येक घर से कंचरा एकत्रित किया जाएगा। इसके लिए घर-घर जाकर कंचरा एकत्रित करने की अनौपचारिक प्रणाली को नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा संग्रह प्रणाली के साथ एकत्रित किया जाएगा।

ii.कंचरे को स्व-स्थाने प्रोसेस करने वाले बल्क कचरा उत्सर्जकों से अवशिष्ट ठोस कचरे को एकत्रित करने का प्रबंध किया जायेगा।

iii. सब्जी, फल, फूल, मास, पोल्ट्री और मछली बाजार से अवशिष्ट ठोस कंचरे को रोजमर्रा के आधार पर एकत्रित किया जाएगा।

iv. बागवानी और उद्यान संबंधी कंचरा अलग से एकत्रित किया जाएगा और उसका निपटान किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए सप्ताह में एक या दो दिन निर्दिष्ट किया जाएंगे।

v. फलों और सब्जी, बाजारों ,मांस और मछली बाजारों, बल्क बागवानी और उद्यानों से उत्सर्जित जैव अपघटीय कंचरे का अनुकूलतम इस्तेमाल करने और संग्रहण एवं ढुलाई की लागत में कमी लाने के लिए ऐसे कंचरे को उस क्षेत्र के भीतर प्रोसेस या उपचारित किया जाएगा, जिसमें वह उत्सर्जित होता है।

vi. कंटेनरों में कंचरे का हाथ से परिचालन निषेध है। यदि दबाव के कारण अपहरिहार्य हो तो कंचरे का हाथ से निपटान श्रमिकों की उचित देखभाल और सुरक्षा के साथ समुचित सरंक्षण के तहत किया जाएगा।

vii.कंचरा उत्सर्जक अपने पृथक किए गए कंचरे को नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा अथवा अधिसूचित अधिकृत कंचरा संग्रहर्कता द्वारा तैनात टिप्पर/ट्रक आदि वाहनों में डालने के लिए जिम्मेदार होंगे। बहुमंजिला इमारतों अपार्टमेंट, आवास परिसरों (इन उपनियमों के खंड 4 व उपखंड (पअ) और (अ) के अंतर्गत आने वालों को छोड़कर) से उत्सर्जित पृथक किए गए कंचरे को ऐसे परिसरों के मुख्य द्वार से अथवा किसी अन्य निर्दिष्ट स्थान से एकत्र किया जाएगा।

viii. कंचरा संग्रह उपकरणों और वाहनों के चयन के लिए बदलती जरूरतों और प्रौद्योगिकी में नई खोजो को ध्यान में रखा जाएगा। कचरा एकत्र करने के लिए विशेष क्षमता वाले ऐसे वाहन/ ट्रक /टिप्पर आदि प्रयुक्त किए जायेगें, जो ऊपर से हाइड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होंगे और उनमें जैव अपघटिय और गैर -जैव अपघटिय कंचरे के लिए अलग अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे। ऐसे वाहनों पर हूटर भी लगा होगा।

ix. स्वचालित ध्वनि रिकॉर्डिड उपकरण, घंटी या शोर के स्वीकार्य स्तर तक सीमित हॉर्न भी कंचरा संग्रह वाहन में कंचरा संग्रहकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा।

x. प्रत्येक प्राथमिक संग्रहण तथा ढुलाई वाहन के लिए मार्ग योजनाएं और नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा या अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा और ये योजनाएं तालिकाबद्ध होगी जो नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित होगी और उसमें प्रारम्भिक बिंदु, प्रारंभ करने का समय प्रतिक्षा स्थलों, मार्ग में रुकने का समय,अंतिम बिंदु और निर्दिष्ट मार्ग के अंतिम समय का उल्लेख होगा। नगर पालिका परिषद मसूरी अथवा अधिसूचित अधिकृत कंचरा संग्रहकर्ता द्वारा मुख्य स्थलों पर एक बोर्ड लगाया जाएगा, जिस पर प्राथमिक कंचरा संग्रह और ढुलाई वाहनों की समय सारणी प्रदर्शित की जाएगी, ताकि क्षेत्र के निवासी निर्धारित समय पर इस सुविधा का लाभ उठा सकें। ऐसी जानकारी भविष्य में नगर पालिका परिषद मसूरी अथवा शहरी विकास निदेशालय की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी।

xi. ऐसी कॉलोनी /गलियॉ जहां टिप्पर/ ट्रक या वाहन की सेवाएं संभव न हो तथा वहां पर 50 परिवार से अधिक परिवार निवासरत् हो, के लिए भाड़ा ढोने वाले श्रमिकों से कण्डियों के माध्यम से कूड़ा सड़क तक लाया जायेगा तथा कूड़ा का निस्तारण कूड़ा वाहनों में किया जायेगा।

xii. अत्यंत भीड़ - भाड़ वाले और अधिक तंग गलियों वाले क्षेत्रों में जहां ट्रक / टिप्पर आदि वाहन भी न जा सकें वहां भाड़ा ढोने वाले श्रमिकों से कण्डियों के माध्यम से कूड़ा सड़क तक लाया जायेगा अन्य प्रकार के उपयुक्त उपकरण तैनात किए जायेगें।

xiii. ऐसी छोटी, तंग और भीड़ भाड़ वाली गलियों / लेनों में जहां ट्रक / टिप्पर / रिक्सा आदि का संचालन संभव न हो, ऐसे स्थानों पर बस्ती / गली के छोर पर खास जगह तय की जाएगी, जहां कंचरा संग्रह वाहन खड़ा किया जा सके और वाहन को हेल्पर के पास एक सीटी होगी और वे सीटी बजाते हुए गली में ठोस कचरा संग्रहण के लिए वाहन के आगमन की घोषणा करेंगे। इस तरह की संग्रह प्रणाली की समय सारिणी नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी और नगर पालिका परिषद मसूरी अथवा शहरी विकास निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

xiv. ऑटो टिपर / ट्रक / रिक्शा और सेवा में संलग्न किसी अन्य तरह के वाहन केवल घरों से कंचरा एकत्र करेंगे, और अन्य स्त्रोतों जैसे ढलाव, खुले स्थलों, मैदान, कूडेदानों और नालियों आदि से कंचरा एकत्र नहीं करेंगे।

xv. नगर पालिका परिषद मसूरी या उसके अधिसूचित अधिकृत कंचरा संग्रहर्ता प्राथमिक कंचरा संग्रहण के लिए क्षेत्र की सभी गलियों /लेनों जहां पर किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न हो को कवर करने के लिए जिम्मेदार होंगें।

अध्याय -4

ठोस कचरे का द्वितीयक संग्रहण

6. द्वितीयक संग्रहण बिंदुओं में ठोस कंचरे का संग्रहण निम्नानुसार किया जाएगा

i.घरों में एकत्रित किया गया पृथक ठोस कंचरा, कंचरा स्टोरेज डिपो सामुदायिक कूड़ा घरों या अचल या चल अंतरण स्थलो या कंचरे के द्वितीयक संग्रहण के लिए नगर पालिक परिषद मसूरी द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर ले जाया जाएगा।

ii.ऐसे द्वितीयक संग्रहण बिंदुओं को कंटेनरों(निर्दिष्ट रंग के) कवर किया जाएगा, जिनसे निम्नांकित के लिए अलग-अलग स्टोरेज होंगे:-

(क) गैर- जैव अपघटीय अथवा सूखा कचरा

(ख) जैव अपघटीय अथवा गीला कचरा

(ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा ।

iii पृथक किए गए कंचरे के संग्रहण के लिए नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा चिन्हित अलग-अलग कंटेनरों का इस्तेमाल निम्नांकित के अनुसार किया जाएगा:-

- **हराः जैव अपघटीय कचरे के लिए**
- **नीलाः गैर- जैव अपघटीय कचरे के लिए**
- **कालाः घरेलू जोखिम पूर्ण कचरे के लिए**

नगर पालिका परिषद मसूरी समय-समय पर विभिन्न प्रकार के ठोस कंचरे के संग्रहण और वितरण के लिए निर्धारित गोदामों की रंग संहिता और अन्य मानदंड अधिसूचित करेगी ताकि कंचरे का सुगम और सुरक्षित संग्रहण हो सके और किसी प्रकार का मिश्रण या रिसाव न हो, जिनका अनुपालन विभिन्न प्रकार के ठोस कंचरा उत्सर्जकों को करना होगा।

iv)नगर पालिका परिषद मसूरी स्वयं अथवा बाहरी एजेंसियों के जरिए ठोस कंचरा संग्रहण केंद्रों का संचालन इस ढंग से करेंगी उनके आस-पास अस्वास्थ्यकर और अस्वच्छ स्थितियां पैदा न हों।

v)द्वितीयक संग्रहण डिपुओं में विभिन्न आकार के कंटेनर नगर पालिका परिषद मसूरी या किन्हीं अन्य निर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा प्रदान किये जाएंगे, जो इस उप- नियमों में वर्णित नियमों के अनुसार अलग-अलग रंगों के होंगे।

vi) संग्रहण केंद्रों का निर्माण स्थापना इस बात को ध्यान में रखकर की जाएगी कि किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में कचरे के उत्सर्जन की मात्रा कितनी है और जनसंख्या का घनत्व कितना है।

vii) संग्रहण केन्द्र इस्तेमालकर्ता अनुकूल होंगे और उनका डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि उनसे कंचरा ढका रहे और संग्रहण किए गये कंचरे का खुले वातावरण में कोई दुष्प्रभाव न पड़े।

viii)सभी आवास सहकारी विभागों, समितियों, एसोसियशन, रिहायशी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और द्वारबंद समुदायों का यह दायित्व होगा कि वे इन उप- नियमों द्वारा निर्धारित रंगीन कूड़ेदान रखें और स्वयं के परिसरों में समुचित स्थानों पर पर्याप्त संख्या में ऐसे कंटेनर रखें ताकि वहां हर रोज उत्सर्जित कचरा ठीक ढंग से संगृहीत किया जा सके।

ix)नगर पालिका परिषद मसूरी या उसकी कोई निर्दिष्ट एजेंसी का यह दायित्व होगा कि वे साप्ताहिक आधार पर सभी कूड़ाघरों की धुलाई और संक्रमणमुक्त बनाने की व्यवस्था करें तथा आवश्यक कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करें।

x) सुखे कंचरे (गैर जैव उपघटीय कचरा)के लिए रीसाइकिलिंग सेंटर

क) नगरपालिका परिषद मसूरी अपने वर्तमान ढलावों अथवा पहचान के लिए किए गए खास स्थानों को आवश्यकतानुसार रीसाईक्लिंग केंद्रों के रूप में परिवर्तित करेगा, जिनका इस्तेमाल गलियों /घर- घर जाकर कंचरा एकत्र करने संबंधी सेवा के जरिए एकत्र किए गए सूखे कंचरे को पृथक करने के लिए किया जाएगा। प्राप्त सूखे कंचरे की मात्रा के अनुसार रिसाईक्लिंग केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।

ख) गली/ घर घर जाकर कंचरा संग्रहण प्रणाली के जरिए और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त केवल सूखा कंचरा (गैर जैव अपघटीय) इन निर्दिष्ट रिसाईक्लिंग केंद्रों को स्थानातरित किया जाएगा। यह निर्दिष्ट केंद्र केवल सूखा कचरा प्राप्त करेंगे।

ग) परिवारों के लिए प्रावधान भी होगा कि वे अपना रिसाईकलिंग योग्य सूखा कंचरा इन रिसाईकलिंग केंद्रों पर सीधे जमा करा सकते हैं अथवा अधिकृत एजेंटों और /या नगर पालिका परिषद मसूरी से अधिकृत कंचरा व्यापारियों को पूर्व अधिसूचित दरों के अनुसार बेच सकते है। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक रिसाईक्लिंग यूनिट पर एक धर्मकांटा और काउंटर उपलब्ध कराया जाएगा ।अधिकृत एजेंट और/या अधिकृत कंचरा व्यापारी को इस बात की अनुमति होगी कि वे केवल रिसाईकिलिंग योग्य कंचरे को ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमों के प्रावधानों के अनुसार द्वितीयक बाजार अथवा रिसाईकलिंग यूनिटों को बेच सकते हैं। अधिकृत एजेंट और / या अधिकृत व्यापारी बिक्री से प्राप्त धनराशि रखने का हकदार होंगे।

(गप) निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कंचरे के लिए संग्रहण केंद्र

(क) घरेलू जोखिमपूर्ण कंचरे के संग्रह के लिए एक संग्रहण केंद्र उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जाएगा, जहां निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कंचरे को प्राप्त किया जाऐगा,ऐसा सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार यथासम्भव प्रत्येक वार्ड में स्थापित किया जाएगा और उसे कचरा प्राप्त करने का समय अधिसूचित करना होगा।

(ख) नगर पालिका परिषद मसूरी अपनी एजेंसी को या छूटग्राही को यह दायित्व सौंप सकती है कि वह सभी कंचरा उत्सर्जकों से घरेलू जोखिमपूर्ण कंचरा पृथक्कीकृत तरीके से एकत्रित करें।

(ग) इस तरह प्राप्त किया गया कंचरा सरकार द्वारा स्थापित जोखिमपूर्ण कंचरा निपटान केंद्रों पर अलग से लाया जाएगा।

अध्याय 5

ठोस कचरे की ढुलाई

7. ठोस कचरे की ढुलाई निम्नांकित बातों को ध्यान में रख कर की जाएगीः-

i. कचरे की ढुलाई के लिए प्रयुक्त वाहन भलिभांति कवर्ड होंगे ताकि एकत्र कचरे का दुष्प्रभाव मुक्त वातावरण पर न पड़े। इस वाहनों में कम्पैक्टर और मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन शामिल हो सकते हैं, जो निकाय द्वारा चुनी गई प्रौद्योगिकी पर निर्भर करेंगें ।

ii.नगर पालिका परिषद मसूरी अथवा अधिकृत एजेन्सी द्वारा स्थापित संग्रहण केंद्र में कंचरे के निपटान के लिए हर रोज काम करेगें। कूड़ेदान या कंटेनरों के आस पास के क्षेत्र को साफ़ रखा जाएगा।

iii.आवासीय और अन्य क्षेत्रों से एकत्र किया गया पथक्कीकृत जैव अपघटीय कंचरा प्रोसेसिंग प्लांटो जैसे कम्पोस्ट प्लांट, बायो- मिथेनेशन प्लांट या अन्य केंद्र तक कवर्ड तरीके से पहुंचाया जाएगा ।

iv.जहां कहीं प्रयोज्य हो, जैव अपघटीय कंचरे के लिए, ऐसे कंचरे की स्व-स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी ।

v.एकत्रित किया गया गैर- जैव अपघटीय कंचरा सम्बद्ध प्रोसेसिंग केंद्रों अथवा द्वितीयक संग्रहण में पहुंचाया जाएगा।

vi.निर्माण और विध्वंसजन्य कंचरे की ढुलाई निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

vii.नगर पालिका परिषद मसूरी कंचरे की समुचित ढंग से ढुलाई का प्रबंध करेगा। गलियों को बुहारने से उत्पन्न कंचरा और नालियों से निकाली गई गाद कार्य समाप्त होने के तत्काल बाद हटाई जाएगी।

viii.ढुलाई वाहनों का डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि अंतिम निपटारे से पहले कचरे के बार-बार परिचालन से बचा जा सके ।

ix.कचरा संग्रहण के लिए काम में लगाए गए वाहन कंचरे को केवल एम.टी.एस. अथवा एफ.सी.टी.एस.जहां कहीं प्रदान किए गए हो, में जामा / स्थानांतरित करेंगे।

x.यदि किसी कारणवश एम.टी.एस. / एफ.सी.टी.एस.निर्दिष्ट स्थल पर खड़े नहीं पाए जायेंगे तो लदा वाहन एम.टी.एस. अथवा एफ.सी.टी.एस. के अगले निर्देश स्थल अथवा कंचरे को उतारने के लिए नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा निर्दिष्ट स्थल तक जाएगा।

xi.फिक्सड कम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन को हुक लोडर के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा।

xii.कंचरे की ढुलाई के दौरान विभिन्न स्रोतों से उत्सर्जित कंचरे का परस्पर मिश्रण नहीं होना चाहिए।

xiii.कंचरे के गली स्तरीय संग्रहण और ढुलाई सेवाएं अवकाश के दिनों सहित हर दिन उपलब्ध कराई जाएगी

xiv.इस सेवा में संलग्न एम.टी.एस. केवल गली स्तरीय प्रचालनो से कंचरा संग्रह करने वाले निर्दिष्ट टिप्परों/ ट्रक या अन्य वाहनों/ कूड़ादानों से कंचरा प्राप्त करेगा।

xv. परिवारों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से गली स्तरीय और घर-घर जाकर ठोस कचरा संग्रह करने में लगे टिप्परों/ ट्रकों आदि से कंचरा प्राप्त करने के लिए एक अनुमोदित रूट प्लान के अनुसार निर्दिष्ट स्थानों पर प्रतिबंद्ध एम.टी.एस. तैनात किए जाएंगे।

xvi.एम.टी.एस और एफ.सी.टी.एस. का डिजाइन ऐसा होगा, जो कंचरे को प्राथमिक संग्रहण वाहनों से उतारने में कम से कम समय लें और कूड़ा करकट इधर - उधर न फैले।

xvii. ठोस कचरे को स्थानांतरित करते समय एम.टी.एस. और एफ.सी.टी.एस. के इर्द-गिर्द रिसे हुए कंचरे को साफ किया जाना चाहिए, ताकि कोई रिसाव न बचे। ऐसे स्थान पर सफाई प्रक्रिया पूरी होने के बाद संक्रमण विरोधी पदार्थ इस्तेमाल किए जाने चाहिए।

xviii.नगर पालिका परिषद मसूरी अथवा उसकी निर्दिष्ट एजेंसी सभी द्वितीयक संग्रहण केंद्रों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे भी लगाए जाने की व्यवस्था कर सकती हैं।

अध्याय- 6
ठोस कचरे की प्रोसेसिंग

8. ठोस कचरे की प्रोसेसिंग:-

I.नगर पालिका परिषद मसूरी ठोस कचरा प्रोसेसिंग केंद्रों और सम्बद्ध ढांचे के निर्माण, प्रचालन और रख-रखाव की स्वयं व्यवस्था करेगा अथवा किसी एजेंसी के द्वारा इस कार्य को अंजाम देगा, ताकि ठोस कंचरे के विभिन्न घटकों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके । इसके लिए निम्नांकित प्रौद्योगिकियों सहित उपयुक्त प्रौद्योगिक अपनाई जाएगी और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन किया जाएगाः-

(क) ढुलाई की लागत और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को निम्नवत रखने के लिए विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को वरियता दी जाएगी, जैसे बायो-मिथेनशन, माइक्रोवियल कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग, एनायरोबिक डाइजेशन अथवा जैव अपघटीय कंचरे की जैव-स्थिरता के लिए कोई अन्य उपयुक्त प्रोसेसिंग पद्धतिः

(ख) केन्द्रीकृत स्थलों पर स्थित मध्यम /बड़े कम्पोस्टिंग/ बायो मिथेनेशन प्लांटों के जरिएः

(ग) कंचरे से ऊर्जा प्रक्रियाओं के जरिए, ठोस कंचरा आधारित बिजली संयंत्रों को कंचरे के ज्वलनशील अंश के लिए रिफ्यूज़ डेराइव्य ईंधन के रूप में अथवा फीड स्टॉक आपूर्ति के रूप में ईंधन प्रदान करते हुए ;

(घ) निर्माण और विध्वंस कंचरा प्रबंधन प्लांटों के जरिए।

(ii) नगर पालिका परिषद मसूरी रिफ्यूज डेराइव्य फ्यूल (आर.डी.एफ.) की खपत के लिए बाजार सृजित करने का प्रयास करेगा।

(iii) कंचरे से बिजली बनाने वाले प्लांट में सीधे भस्मीकरण के लिए कंचरे का पूर्ण पृथ्थकीकरण अनिवार्य होगा और ऐसा करना संबद्ध अनुबंधों के कार्यशर्तों का हिस्सा होगा।

(iv) नगर पालिका परिषद मसूरी सुनिश्चित करेगा कि कागज, प्लास्टिक धातु, काँच, कपड़ा आदि रिसाईक्लिंग योग्य पदार्थ रिसाईक्लिंग करने वाली अधिकृत एजेंसियों को भेजा जाए।

9. ठोस कचरे की प्रोसेसिंग के लिए अन्य दिशा निर्देशः-

(i) नगर पालिका परिषद मसूरी सभी निवास कल्याण संगठनों, समूह आवास समितियों को बाजारों, द्वारबंद समुदायों और 5000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र रखने वाले संस्थानों, सभी होटलों एवं रेस्त्राओं, बैंक्वेट हालों और इस तरह के अन्य स्थलों पर यथासंभव कम्पोस्टिंग अथवा बायो- मिथेनशन के जरिए जैव अपघटीय कंचरे वाले अन्य कंचरा उत्सर्जकों को भी जैव अपघटीय कंचरे के स्व-स्थाने प्रोसेसिंग की वरीयता दी जाएगी।

(ii) नगर पालिका परिषद मसूरी यह नियम प्रवृत्त करेगा कि सब्जी, फल, मांस, पोल्ट्री एवं मछली व्यापार मंडिया अपने जैव अपघटीय कंचरे की प्रोसेसिंग करते समय स्वच्छ स्थितियां बनाए रखना सुनिश्चित करें।

(iii) नगर पालिका परिषद मसूरी यह नियम प्रवृत्त करेगा कि बागवानी, उद्यानों और पार्कों से उत्सर्जित कंचरे का निपटान अलग से यथासंभव पार्कों और उद्यानों में ही किया जाए।

(iv) नगर पालिका परिषद मसूरी कचरा प्रबंधन में समुदाय को शामिल करने और घर पर ही कम्पोस्टिंग, बायो गैस उत्पादन, सामुदायिक स्तर पर कंचरे की विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को प्रोत्साहित करेगा। परंतु ऐसा करते समय बदबू को नियंत्रित रखना और तत्संबंधी यूनिट के आसपास स्वच्छता की स्थितियां बनाए रखने रखना ही अनिवार्य होगी।

अध्याय 7

ठोस कचरे का निपटान

10. ठोस कचरे का निपटान

नगर पालिका परिषद मसूरी अपशिष्ट कंचरे और गलियों में झाड़ू लगाने से उत्सर्जित कंचरे तथा नालियों से निकलने वाली गाद का निपटान एस. डब्ल्यू. एम नियमों के अंतर्गत निर्धारित ढंग और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून द्वारा लागू किए गए किसी अन्य दायित्व के अनुरूप करने के लिए स्वयं अथवा किसी अन्य एजेंसी के जरिए सेनिटरी लैण्डफिल और संबद्ध ढांचे का निर्माण, प्रचालन और रख-रखाव करेगा।

अध्याय 8

इस्तेमालकर्ता शुल्क और स्थल पर ही जुर्माना /दंड लगाना

11. ठोस कंचरे का संग्रहण, ढुलाई, निपटान के लिए इस्तेमाल कर्ता शुल्क:

(क) "कंचरा उत्सर्जकों से कंचरा संग्रहण, ढुलाई और निपटान हेतु सेवाएं प्रदान करने के लिए नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा इस्तेमालकर्ता शुल्क निर्धारित किया जाएगा। इस्तेमालकर्ता शुल्क की दरें अनुसूची -1 में निर्दिष्ट है।

(ख) कचरा उत्सर्जकों से निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली नगर पालिका परिषद मसूरी स्वयं अथवा अध्यक्ष /अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत एजेंसी या अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

(ग) नगर पालिका परिषद मसूरी इन उपनियमों की अधिसूचना की तारीख से 3 माह के भीतर इस्तेमालकर्ता शुल्क लगाने के प्रयोजन के लिए कंचरा उत्सर्जन का डाटाबेस तैयार करेगा और इस्तेमालकर्ता शुल्क की बिलिंग/ संग्रह/ वसूली के लिए समुचित व्यवस्था विकसित करेगा। डाटाबेस को नियमित रूप से अद्यतन बनाया जाएगा।

(घ)नगर पालिका परिषद मसूरी ऑनलाइन भुगतान के सहित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली के लिए विभिन्न पद्धतियां अपनाएगा।

(ङ)इस्तेमालकर्ता वसूली के लिए महीने में विशेष दिन निर्धारित किए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह को वरीयता दी जायगी ।

(च) वार्षिक और छमाही भुगतान की प्रणाली अपनाई जाएगी। यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क समूचे वर्ष के लिए अग्रिम अदा किया जाता है, तो ऐसे में 12 महीने के बजाय 10 महीने का शुल्क लिया जाएगा। इसी प्रकार यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली का भुगतान 6 महीने के लिए किया जाता है तो शुल्क की मांग की राशि छह महीने के बजाये साढे पाँच महीने के लिए वसूल की जाएगी।

(छ)अनुसूची -1 में वर्णित इस्तेमालकर्ता शुल्क प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी स्वतः10 प्रतिशत बढ़ जाएगा।

(ज) इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक सामान्य या विशेष आदेश के जरिए अधिकृत संस्थाव/ व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

(झ) इस्तेमालकर्ता शुल्क के भुगतान में चूक होने के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा चूककर्ता से उसकी वसूली भू-राजस्व के माध्यम से बकायादार की भाँति वसूल की जायेगी।

12. एस.डब्ल्यू.एम. नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना /दंडः-

(क) एस. डब्ल्यू. एम. नियमों अथवा इन उप-नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन अथवा अनुपालन करने में विफलता के लिए इन उप -नियमों की परिशिष्ट में दी गई अनुसूची 2 में वर्णित अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।

(ख)उपरोक्त खंड (क) में वर्णित अनुसार उल्लंघन या गैर -अनुपालन की स्थिति बार-बार आने पर ऐसी प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना प्रतिदिन या महिना, जो भी लागू हो, के अनुसार लगाया जाएगा।

(ग)जुर्माना या दंड लगाने हेतु निर्दिष्ट/ प्राधिकृत अधिशासी अधिकारी, सफाई निरीक्षक, कर निरीक्षक, कर्मचारी एवं सब इन्स्पेक्टर थाना /चौकी प्रभारी होंगे तथा जिला मजिस्ट्रेट या अध्यक्ष के सामान्य या विशेष आदेश के अधीन अन्य अधिकारियों को भी नामित कर सकते हैं। जुर्माना /दंड राशि अनुसूची 2 में दी गई है।

(घ)अनुसूची 2 में वर्णित जुर्माना अथवा दंड राशि प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 5 प्रतिशत बढ़ जाएगी।

(ड)निर्दिष्ट/प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जुर्माना मौके पर लगाया और वसूल किया जाएगा। जुर्माने का भुगतान मौके पर जमा न करने में उक्त धनराशि भू-राजस्व के माध्यम से बकायादार के भांति वसूल की जायेगी एवं मामले में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित अभियोजना की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

अध्याय 9
प्रतिभागियों के दायित्व

13. कचरा उत्सर्जकों के दायित्वः-

(I) कूड़ा फेंकने पर पाबंदी

क) किसी सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा फैलानाः अधिकृत सार्वजनिक या निजी कूड़ादानों के अतिरिक्त कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा नहीं फैलाएगा। कोई व्यक्ति विशेष प्रयोजन के लिए प्राविधान किए गए सार्वजनिक केंद्रों या सुविधाओं को छोड़कर किसी सार्वजनिक स्थल पर वाहनों की मरम्मत, वर्तन या कोई अन्य उपकरण धोने/ साफ करने का काम नहीं करेगा या किसी प्रकार का संग्रहण नहीं करेगा।

ख) किसी संपत्ति पर कूड़ा फैलानाः अधिकृत निजी अथवा सार्वजनिक कूड़ेदानों के सिवाय कोई व्यक्ति किसी मुक्त या रिक्त संपत्ति पर नहीं डालेगा।

ग) वाहनों से कूड़ा फेंकनाः किसी वाहन के ड्राइवर या यात्री के रूप में कोई व्यक्ति किसी गली, सड़क, फुटपाथ, खेल के मैदान, उद्यान, ट्रैफिक आइलैंड या अन्य सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा नहीं फेकेगा।

घ) **मालवाहक वाहन से गंदगी डालना**:: कोई भी व्यक्ति तब तक किसी ट्रक या अन्य मालवाहक वाहन को नहीं चलाएगा, जब तक कि ऐसे वाहन का निर्माण और लदान इस प्रयोजन के लिए अधिकृत न किया गया हो ताकि सड़क, फुटपाथ, खेल का मैदान, उद्यान, ट्रैफिक आइलैंड या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कोई लोड पदार्थ अथवा गंदगी डालने रोका जा सके।

ङ) **स्वयं /पालतू पशुओं से गंदगी**: कुत्ता बिल्ली/ सूअर आदि पालतू जानवरों के मालिकों का यह भी दायित्व होगा कि गली अथवा किसी सार्वजनिक स्थल पर ऐसे जानवरों द्वारा उत्सर्जित किसी प्रकार की गंदगी को तत्काल उठाएगा /साफ करेगा और इस तरह की उत्सर्जित कंचरे के समुचित निपटान के लिए समुचित उपाय करेगा, जिनमें स्वयं की सीवेज प्रणाली से निपटान को वरीयता दी जाएगी।

च) **नालियों आदि में कंचरे का निपटान**: कोई व्यक्ति किसी नाली /नदी/ खुले तालाब/ जल निकायों में गंदगी नहीं डालेगा ।

ii. **कचरे को जलाना**: सार्वजनिक स्थानों पर या निजी स्थानों पर या निषेध सार्वजनिक सम्पत्ति पर ठोस कंचरे के किसी भी प्रकार के जलाने द्वारा निपटान निषेद्द होगा ।

iii. **"स्वच्छ क्षेत्र"** प्रत्येक व्यक्ति यह प्रयास करेगा कि उसके स्वामित्व या कब्जे वाले परिसर के सामने कोई भी सार्वजनिक स्थान अथवा आसपास का क्षेत्र स्वच्छ रहें। इन स्थानों में फुटपाथ और खुली/ नालियां /गटर, सड़क किनारा शामिल है, जो किसी भी तरह ठोस या तरल कचरे से मुक्त होने चाहिए।

iv. सार्वजनिक सभाओं और किसी कारण (जुलूस प्रर्दशनियां, सर्कस, मेले राजनैतिक रैलिया, वाणिज्यिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रर्दशनों और प्रर्दशनों आदि सहित) से सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों, जिनमें पुलिस विभाग और /या नगर पालिका परिषद टिहरी से अनुमति अपेक्षित हो, के मामले में ऐसी गतिविधियों के आयोजनकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह उस क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों की स्वच्छता सुनिश्चित करें।

v. ऐसे आयोजनों के मामले में आयोजक से नगरपालिका परिषद मसूरी द्वारा अधिसूचित रिफंड योग्य स्वच्छता धरोहर राशि सम्बद्द अधिशासी अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित द्वारा प्राप्त की जाएगी, जो कार्यक्रम की अवधि मे उसके पास जमा रहेगी। यह जमा राशि कार्यक्रम पूरा होने के बाद रिफंड की जाएगी लेकिन उससे पहले यह जांच की जाएगी कि उक्त सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता बहाल कर दी गई है। यह धरोहर राशि सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता के लिए होगी और इसमें संपत्ति को पहुंचाई गई किसी भी प्रकार की क्षति का हर्जाना नहीं होगा। यदि आयोजनकर्ता, कार्यक्रम के आयोजन के परिणाम स्वरूप उत्सर्जित कंचरे की सफाई , संग्रहण और ढुलाई में नगरपालिका की सेवाएं प्राप्त करना चाहते हो, तो उन्हें नगर पालिका परिषद मसूरी के सम्बद्द अधिशासी अधिकारी को आवेदन करना होगा तथा इस प्रायोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया गया अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा।

vi. खाली प्लांट पर ठोस कंचरा डम्प करने और गैर- निर्दिष्ट स्थानों पर निर्माण और विध्वंस कंचरा डाले जाने की स्थितियों से नगर पालिका परिषद मसूरी निम्नांकित ढंग से निपटेगा :-

क) नगर पालिका परिषद मसूरी किसी परिषद के मालिक / अधिभोगी को नोटिस भेज सकता है, जिसमें ऐसे मालिक/ अधिभोगी से उक्त परिसर पर डाले गये किसी भी प्रकार के कंचरे को नोटिस में वर्णित तरिके और समय सीमा के भीतर हटाने को कहा जाएगा ।

ख) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाएं पूरी करने में विफल रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को समय-समय पर निर्धारित दंड का भुगतान करना होगा।

ग) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहता है तो नगर पालिका परिषद मसूरी निम्नांकित कार्यवाही कर सकती है:-

(vi) ऐसे परिसर में प्रवेश कर कंचरे को साफ करना, और (ii) अधिभोगी से कंचरा साफ करने पर किए गए व्यय को वसूल करेंगा।

(vii) डिस्पोजेबल उत्पादों और सेनेटरी नेपकिन तथा डायपर्स के वी विनिर्माताओं या मालिकों का दायित्वः

(क) डिस्पोजेबल उत्पादों जैसे टिन कांच प्लास्टिक पैकेजिंग आदि के सभी विनिर्माताओं अथवा नगर पालिका परिषद मसूरी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले बाजारों में ऐसे उत्पाद प्रारंभ करने वाले ब्रैड मालिकों को कंचरा प्रबंधन प्रणाली के लिए नगर पालिका परिषद मसूरी को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी। नगर पालिका परिषद मसूरी इस प्राविधान के लिए केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार के सम्बद्द विभागों के सम्बद्द विभागों के साथ समन्वय कर सकती है।

(ख) ऐसे सभी ब्रैंड मालिको को, जो गैर जैव अपघटिय पैकेजिंग सामग्री में अपने उत्पाद बेचते या विपणन करते हैं, उन्हें ऐसे प्रणाली कायम करनी होगी, जिसमें उनके उत्पादन के कारण उत्सर्जित पैकेजिंग कंचरे को वापस लिया जा सके।

(ग) सेनिटरी नेपकिन और डायपर्स विनिर्माता या ब्रैंड मालिक या विपणन कंपनियां इस बात की संभावनाओ का पता लगाएंगी कि उनके उत्पादो में सभी रीसाइकिल योग्य पदार्थो का इस्तेमाल किस हद तक किया जा सकता है अथवा वे अपने सेनेटरी उत्पादों के पैकेट के साथ एक ऐसा पाउच या रैपर उपलब्ध कराएंगी, जिनसे नेपकिन या डायपर का निपटान किया जा सके।

(घ) ऐसे सभी विनिर्माता, बैंड मालिक या विपणन कंपनियां अपने उत्पादों की रैपिंग और डिस्पोजल के यह लोगों को शिक्षित करेगी।

14. <u>नगर पालिका परिषद मसूरी के दायित्वः</u>

(i) नगर पालिका परिषद अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले भूभाग में सभी साझा गलियों/ मार्ग, सार्वजनिक स्थलों, अस्थाई बस्तियों, मलिन क्षेत्रों, बाजारों, स्वयं के उद्यानों, बागों, नालियों आदि की सफाई की नियमित प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी। वह इसके लिए मानव संसाधन और मशीने लगाएगा तथा घोषित संग्रहण कंटेनर से कचरा एकत्र करने और उसे हर रोज बंद वाहनों में अंतिम निपटान स्तर तक पहुंचाने के लिए बाध्य होगा, जिसके लिए नगर पालिका परिषद अपने सफाई स्टाफ और वाहनों के अलावा, अनुबंध के आधार पर प्राइवेट पार्टियों को काम पर लगा सकता है, अथवा सरकारी निजी भागीदार व्यवस्था का सहारा ले सकता है

इसके अतिरिक्त नगर पालिका परिषद सभी वाणिज्यिक क्षेत्रों ऐसे वाणिज्य क्षेत्रों की पहचान करेगा जिनमें दिन में दो बार झाड़ू लगाने की आवश्यकता हो।

(ii) नगर पालिका परिषद अथवा उसके द्वारा संलग्न अधिकृत एजेंसी सार्वजनिक मार्गों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, धार्मिक स्थलों और वाणिज्यिक क्षेत्रो आदि के आस पास पर्याप्त संख्या में और पर्याप्त आकार के कूड़ेदानों का रख रखाव करेगा।

(iii) नगर पालिका परिषद विकेंद्रीयकृत और नियमित ढंग से ठोस कचरा प्रबंधन गतिविधियों के प्रयोजन के लिए प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड अधिकारी निर्दिष्ट करेगा, ताकि यहां कंटेनरों सार्वजनिक शौचालयों सामुदायिक शौचालयों अथवा सार्वजनिक स्थलों पर बने पेशाबघरों सार्वजनिक कचरे के लिए बनाए ट्रांसफर स्टेशन लैडफ़िल प्रोसेसिंग यूनिटों आदि स्थानों की निगरानी रख सके।

(iv) सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरे के पृथक्करण संग्रह ढुलाई प्रसंस्करण और निपटान कार्यो की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए पर्याप्त संख्या में वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा जिसमें कम से कम अपर नगर आयुक्त/ अधिशासी अधिकारी स्वास्थ्य एवं सफाई निरीक्षक या समकक्ष रैंक के अधिकारियों को वरीयता दी जाएगी।

(v) प्रत्येक वार्ड निर्धारित मानदंड के आधार पर स्वीपिंग बीट्स में विभाजित किया जाएगा और उसमें तदनुरूप कार्मिक तैनात किए जाएंगे या वर्तमान तैनाती सूक्तिसंगत बनाया जाएगा तथा अद्यतन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए उनके काम पर निगरानी रखी जाएगी। नगर पालिका परिषद जहां कहीं अपने स्टाफ से स्वीपिंग कराने में असमर्थ होगा तो वह अनुबंध के जरिए बाहरी एजेंसियों से यह काम करा सकती है। प्रत्येक बीट का निरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक आधार पर सुपरवाइजिंग अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

(vi) नगर पालिका परिषद अद्यतन सड़क/ गली क्लिनिंग मशीनों मैकेनिकल ,स्वीपरों अथवा उपकरणों का इस्तेमाल करेगा जिनसे झाड़ू लगाने और नालियों की सफाई की सक्षमता में सुधार होगा।

(vii) नगर पालिका परिषद सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान के माध्यम से जागरुकता और संवेदनशीलता पैदा करेगा तथा कचरा उत्सर्जको और अन्य हितभागियो को एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप-नियमों के विभिन्न प्रावधानों के बारे में प्रशिक्षित करेंगा जिसमें इस्तेमालकर्ता शुल्क और जुर्माना/ दंड संबंधी प्रावधानो की जानकारी पर विशेष बल दिया जाएगा।

(viii) नगर पालिका परिषद कचरा उत्सर्जकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगा कि वे गीले कचरे का स्रोत पर ही उपचार करे। नगर निगम विकेंद्रीकृत प्रौद्योगिकियों जैसे बायो-मिथेनेशन, कम्पोस्टिग आदि अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने पर भी विचार कर सकता है। इन प्रोत्साहनों मे परिवारों निवासी कल्याण संगठनो और संस्थानों आदि को पुरस्कृत और सम्मान प्रधान करना, उनके नाम सम्बद्द वेबसाइटों में प्रकाशित करना अथवा संपत्ति कर आदि में छूट प्रदान करना शामिल हो सकते हैं।

(ix) नगर पालिका परिषद स्वयं द्वारा रख रखाव किए जा रहे सभी पार्को उद्यानों और जहां कहीं संभव हो अपने अधिकार क्षेत्र वाले अन्य स्थानों पर चरणबद्ध तरीके से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग समाप्त करेगा और उनमें कम्पोस्ट का इस्तेमाल करेगा। अनौपचारिक कचरा रीसाइक्लिंग क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले रीसाइक्लिंग उपायों के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान किए जा सकते हैं।

(x) नगर पालिका परिषद ठोस कचरा प्रबंधन प्रणालियों को सुचारू और औपचारिक बनाने के उपाय करेगा और यहां पर प्रयास करेगा कि कचरा प्रबंधन में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों (कचरा बीनने वालों) को वरीयता दी जाए ताकि उनके कार्य स्थितियों को उन्नत बनाया जा सके और उन्हें ठोस कचरा प्रबंधन की औपचारिक प्रणाली में समाहित एवं एकीकृत किया जा सके।

(xi) नगर पालिका परिषद यह सुनिश्चित करेगा कि स्वच्छता सेवा के सुविधा प्रदाता द्वारा अपने उन श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सहित वर्दी फ्लोरोसेंट जैकेट दस्ताने, रेनकोट समुचित फुटवेयर और मास्क प्रदान किए जाएं जो ठोस कचरा परिचालन कार्य करते हैं और यह भी की ऐसे श्रमिकों द्वारा इन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाए।

(xii) नगर पालिका परिषद कचरे के संग्रहण परिवहन और परिचालन में शामिल स्वयं और बाहरी एजेंसी के स्टाफ की व्यवसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और इसके लिए उन्हें व्यक्तिगत संरक्षा के उपयुक्त और समुचित उपकरण प्रदान करेगा।

(xiii) किसी ठोस कचरा प्रोसेसिंग या उपचार या निपटान केंद्र अथवा लैंडफिल साइट पर कोई दुर्घटना होने की स्थिति में, उस केंद्र का प्रभारी अधिकारी तत्काल नगर निगम को रिपोर्ट करेगा जो स्थिति की समीक्षा करने के बाद उस केंद्र के प्रभारी अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी करेगा।

(xiv) नियमित जांचः महापौर, उपमहापौर द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी वार्ड के विभिन्न भागों और ठोस कचरे के संग्रहण ढुलाई प्रोसेसिंग और निपटान से संबंधित अन्य स्थानों की नियमित जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप-नियमों के विभिन्न प्रावधानों का पालन हो रहा है।

(xv) नगर पालिका परिषद अपने मुख्यालय में कॉल सेंटर की स्थापना के जरिए सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली(पीजीआरएस) विकसित करेगा। इस पीजीआरएस में एसएमएस आधारित सेवा मोबाइल अप्लीकेशन अथवा वैब आधारित सेवाएं शामिल हो सकती है।

(xvi) नगर पालिका परिषद एसडब्ल्यूएम नियमों और उप-नियमों के कार्यान्वयन से सम्बद्द कर्मचारियों की उपस्थिकत दर्ज करने के लिए कार्ड प्रौद्योगिकियों/ आईसीटी प्रणाली कायम करेगा तथा ऐसी प्रणाली को वेतन/ दिहाडी / परिश्रमिक के साथ एकीकृत करने के प्रयास करेगा।

(xvii) पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुंचः अधिक पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नगर पालिका परिषद अपनी वेबसाइट से सारी आवश्यक सूचनाऐ प्रदान करेगा।

(xviii) नगर निगम एसडब्ल्यूएम नियमों वर्णित सभी अन्य दायित्व पूरे करेगा जो इन उपनियमों के विशेष रूप से उल्लेखित नहीं किए गये हैं।

अध्याय 10

विविध

15. इन उपनियमों की व्याख्या या कार्यान्वयन में कोई संदेह या कठिनाई आने की स्थिति में उसे अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद के समक्ष रखा जाएगा, जिसका निर्णय ऐसे मामले में अंतिम होगा।

16. सरकारी निकायों के साथ समन्वयः नगर निगम अन्य सरकारी एजेंसियों और प्राधिकरणों के साथ समन्वय करेगा, ताकि इन उपनियमों का अनुपालन ऐसे निकायों के अधिकार क्षेत्र या नियंत्रण में आने वाले इलाकों सुनिश्चित किय जा सके। कोई कठिनाई होने की स्थिति में उत्तराखण्ड सरकार के मुख्य सचिव के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा।

17. समक्ष प्राधिकारी ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 और इन उप-नियमों के समुचित कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर सामान्य या विशेष आदेश जारी कर सकते हैं।

अनुसूची-1

ठोस कचरा प्रबंधन के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्क

1	2	3
क्र सं	अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/ अपशिष्ट का प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क (यूजर चार्जेज रुपए में)
1	गरीबी रेखा से नीचे के घर(बी.पी.एल. कार्ड धारक)	कच्ची झोपड़ी रु 10.00,पक्का मकान रु. 20.00

1	2	3
2	कम आय वाले घर(बी.पी.एल. कार्ड धारक के अतिरिक्त रु 5000.00 प्रतिमाह तक की आय वाले घर)	रु 30.00
3	मध्यम आय वाले घर (रु 5000.00 से अधिक रु 10000.00 तक प्रतिमाह आय वाले)	रु 50.00
4	उपरोक्त के अतिरिक्त ऐसे घर/ प्रतिष्ठान/व्यक्ति जहां से कूडा संग्रहकता द्वारा कूडा एकत्रित किया जायेगा।	रु200.00
5	उपरोक्त के अतिरिक्त/ ऐसे घर/प्रतिष्ठान/ व्यक्ति जिनके द्वारा जैविक कूड़े से कम्पोस्टिंग खाद तैयार की जायेगी।	पालिका के स्तर से निर्धारण किया जायेगा
6	सब्जी एवं फल की दुकानें/ ठेली	ठेली व फेरी में रु 100 प्रतिमाह, सब्जी एवं फल की दुकान पर रु 500.00 प्रतिमाह
7	मांस एवं मछली विक्रेता	न्यूनतम ₹500 रु 10 कि0ग्रा0 तक, उससे अधिक पर रुपए 10 अतिरिक्त प्रति कि0ग्रा0 की बढ़ोत्तरी पर प्रतिमाह
8	रेस्टोरेन्ट	छोटे रु 500.00 मध्यम रु 600.00 तथा बड़े रु 1500.00 प्रतिमाह
9	होटल /लॉजिग/ गेस्ट हाउस	20 बेड तक रु 500.00, 21 बेड से 40 बेड तक रु 800 एवं 41 से अधिक बेड तक रु 1500.00 प्रतिमाह
10	धर्मशाला	10 कमरे तक रु 400 प्रतिमाह ₹10 से ऊपर रु 600 प्रतिमाह
11	बारातघर(चेरिटेबिल) बारातघर(नॉन चेरिटेबिल)	रु 500.00 प्रति उत्सव रु 1200.00 प्रति उत्सव
12	बेकरी	रु 500.00 प्रतिमाह

1	2	3
13	कार्यालय	50 कर्मचारियो तक रु 300.00, 51 से 100 कर्मचारियो तक रु 600.00,101 से 300 कर्मचारियों तक रु 800.00 तथा उससे अधिक कर्मचारियों वाले कार्यालय से रु 1000.00 उपरोक्त दर प्रतिमाह हेतु लागू
14	स्कूल/ शिक्षण संस्थाएं(आवासीय)	100 बेड तक के लिए रु 1500.00 उससे अधिक रु 20.00 प्रति बेड अतिरिक्त प्रतिमाह
15	स्कूल/शिक्षण संस्थाएं(अनावासीय)	500 विद्यार्थियों तक रु 1000.00 उससे अधिक रु 1500.00 प्रतिमाह
16	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम (बायो मेडिकल वेस्ट को छोड़कर)	20 बेड तक रु 1000.00 ,21 बेड से 40 तक रु 2000.00 एवं 41 से 100 बेड तक रु 3000.00, उससे अधिक रु 20000.00 प्रति माह
17	क्लीनिक/ पैथोलोजी	क्लीनिक रु 300.00, पैथोलोजी रु 500.00 प्रतिमाह
18	दुकान/ चाय की दुकान	मौहल्ले की छोटी दुकान रु 50.00, बाजार की दुकान रु 100.00, शोरूम रु 500.00, छोटे मॉल रु 1000.00 , बहूमंजिला मॉल रु 2000.00, अपने मकान के कमरे में खुली छोटी दुकान रु 100.00 प्रतिमाह
19	फैक्ट्री	छोटी रु 600.00, मध्यम रु 1000.00, बड़ी रु 1000.00 प्रतिमाह
20	वर्कशॉप	छोटी रु 200.00, बड़ी रु 500.00 प्रतिमाह

1	2	3
21	कबाड़ी	छोटी रु 300.00, बड़ी रु 500.00 प्रतिमाह
22	जूस/ गन्ने का रस विक्रेता	रु 300.00 प्रतिमाह अथवा ₹10 रु प्रतिदिन
23	सार्वजनिक/निजी स्थलों पर सर्कस/प्रदर्शनी/ विवाह आदि आयोजन जिनमें अपशिष्ट उत्पन्न हो	प्रति उत्साह रु1000.00, विवाह होटलों में, सर्कस/ प्रदर्शनी रु1000.00 प्रतिदिन, विवाह सड़क/ निजी/ सार्वजनिक स्थल पर रु 1500.00 प्रति उत्सव
24	ढहान तथा निर्माण संबंधी अपशिष्ट	0.50 घन मी0 तक रु 200.00, 1.0 घन मी0 तक रु 400.00, 3.0 घन मी0 तक रु 1000.00, 6.0 घन मी0 तक रु 2000.00 इससे अधिक प्रतिघन मी0 रु 200.00 अधिक
25	सिनेमा हॉल	रु 500.00 प्रतिमाह
26	वॉइन शॉप	रु 500.00 प्रतिमाह
27	जनरल स्टोर किराने की दुकान	रु 50.00 प्रतिमाह
28	एजेंसी/थोक विक्रेता	रु100.00 प्रतिमाह

इस्तेमालकर्ता शुल्क/ प्रभार का भुगतान मांग जारी होने से 30 दिन पहले के भीतर ना किए जाने की स्थिति में इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभार पर 10 प्रतिशत की दर से विलंब भुगतान/ प्रभार (एलपीएससी) लगाया जाएगा।

अनुसूची -2

जुर्माना/दंड

क्र. स.	नियम/ उप नियम संख्या	अपराध	निम्नांकित पर लागू	प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना (रुपए में) प्रतिबार
1	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(क)	कचरे को पृथक करने और संग्रह करने तथा पृथक्कृत कचरे को इन नियमों के अनुसार सौंपने में विफल रहना	आवासीय बल्क जनरेटर	200.00 500.00
			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले विवाह /पार्टी हॉल फेस्टिवल हॉल, पार्टी लान प्रदर्शनी और मेले स्थल	10,000.00

			5000मीटर से कम क्षेत्र वाले क्लबों ,सिनेमाघरों, पब्स , सामुदायिक हॉल मल्टीप्लेक्सेज और अन्य ऐसे स्थान	5000.00
			5000मीटर से कम क्षेत्र वाले अन्य गैर-आवासीय स्थान	500.00
			फिस, मीट विक्रेता द्वारा कूडें को पृथ्थक्करण तरीके से न रखना	1000.00
	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2)	सड़क/ गली में 1 कूड़ा फैंकना, थूकना, 2. नहाना,पैशाब करना, जानवरों को चारा खिलाना, कपड़े धोना, वाहन धोना, गोबर नाली में बहाना	उलंघनकर्ता	रु- 200.00 से 500.00 एवं कार्यवाही उत्तराखंड कूड़ा फैंकना एवं थूकना, प्रतिषेध अधिनियम 2016 के अन्तर्गत होगी। रु 500.00
2	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(ख) और (घ)	नियमानुसार सेनेटरी कचरे का निपटान करने में विफल रहना। नियम के अनुसार बागवानी और उद्यान कचरे के निपटान में विफल रहना।	आवासीय	200.00
			गैर आवासीय/बल्क जनरेटर	500.00
3	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(ग)	नियम के अनुसार निर्माण और विध्वंस के कचरे रहना निपटान में विफल रहना	आवासीय	1000.00
			गैर आवासीय/ बल्क जनरेटर	5000.00
4	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2), 15(ट),	ठोस कचरे को खुले में जलाना	उल्लंघनकर्ता	5000.00
5	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(4)	निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना किसी गैर लाइसेंसीकृत स्थल पर 100 व्यक्तियों से अधिक की भागीदारी के साथ कार्यक्रम या सभा का आयोजन करना	ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित करने वाले व्यक्ति अथवा ऐसे व्यक्ति जिसकी ओर से ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित की गई हो	10,000.00

			और इवेंट मैनेजर यदि कोई हो, जिसने कार्यक्रम या सभा आयोजित की हो	
6	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(5)	नियम के अनुसार कचरे का निपटान करने में विफल रहने वाले गली विक्रेता/ वेन्डर कूडादान न रखने एवं कूडे को पृथ्थक्करण न करने अपशिष्ट भण्डारन डिपो या पात्र वाहन में डालने में विफल रहने पर	उल्लंघनकर्ता	200.00
7	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2) 15(छ)	सार्वजनिक स्थलों सड़को गलियों आदि में गंदगी फैलाना कुत्ते अन्य जानवरो द्वारा मल त्याग/ उत्सर्जित कचरे के निपटान में विफलता	अपराधी	500.00
निम्नांकित उल्लंघनों के लिए महीने में केवल एक बार जुर्माना लगाया जाएगा।				
8	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(6)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	निवासी कल्याण एसोसिएशन आर डब्ल्यू.एम.	10,000.00
			बाजार एसोसिएशन संघ	20,000.00
9	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(7)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	द्वारबंद समुदाय	10,000.00
			संस्थान	20,000.00
10	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(8)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	होटल	50,000.00
			रेस्टोरेंट	20,000.00
11	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 17 (2)	उत्पादन के कारण सृजित पैकेजिंग कंचरे को वापस लेने की प्रणाली कायम किए बिना डिस्पोजल उत्पादों की बिक्री अथवा विपणन	विनिर्माता और/या ब्रॉड ऑनर /स्वामी	1,00,000.00
12	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 17(3)	नियमों के अनुसार उपाय करने में विफलता	विनिर्माता और ब्रॉड स्वामी और विपणन कम्पनियां	50,000.00
13	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 15य(ङ)	नियमों के उपाय करने, भवन योजना में अपशिष्ट संग्रहण केंद्र स्थापित करने में विफलता	उल्लंघनकर्ता,ग्रुप हाउसिंग सोसाईटी या मार्केट काम्पलेक्स आदि	50,000.00
14	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 20(ग)	गलियों, पहाड़ियों, सार्वजनिक स्थलों में अपशिष्ट यथा कागज, पानी की बोतल, शराब की बोतल, सॉफ्ट ड्रिंक, कैन, टैट्रा पैक अन्य कोई प्लास्टिक या कागज अपशिष्ट को फेंकने पर	उल्लंघनकर्ता पर्यटक/ वाहन/ चालक	1000.00

15	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 20(घ)	नगर पालिका परिषद की उपविधि को होटल अतिथिग्रह में बोर्ड लगाकर व्यवस्था करने में विफलता	उल्लंघनकर्ता/होटल/ अतिथिग्रह स्वामी	1000.00
16		सार्वजनिक, सभाओं (जलूस, प्रर्दशिनियों, सर्कस, मेले,राजनैतिक रैलिया ,वाणिजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रर्दशन, आदि सहित से सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित गतिधियों के क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्रों की स्वच्छता सुनिश्चित करने में विफलता)	आयोजनर्कता	5000.00

आशुतोष सती/विजय पी एस चौहान
अधिशासी अधिकारी।

श्री अनुज गुप्ता,
अध्यक्ष।

सूचना

मेरे पुत्र अमन रतूडी के शैक्षिक प्रमाण–पत्रों में पिता का नाम सुनील रतूडी दर्ज हो गया है, जो कि गलत है जबकि उनका वास्तविक नाम सुनील दत्त है। भविष्य में मेरे पुत्र को अमन रतूडी पुत्र सुनील दत्त के नाम से जाना पहचाना पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

सीमा रतूडी पत्नी सुनील दत्त
निवासी राजीवनगर धर्मपुर डाण्डा,
पो0ओ0 नेहरूग्राम देहरादून।

सूचना

मेरे पुत्र VENU KAPIL के हाईस्कूल के शैक्षिक अभिलेखों में मेरा नाम त्रुटि से SULAKSHNA KAPIL दर्ज हो गया है। जोकि गलत है। मेरा वास्तविक नाम SULAKSHNA SHARMA है। भविष्य में मुझे SULAKSHNA SHARMA W/O AMIT KAPIL के नाम से जाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

SULAKSHNA SHARMA
W/O AMIT KAPIL
निवासी 5 नेहरू नगर रूडकी,
जिला हरिद्वार।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 07 हिन्दी गजट/135–भाग 8–2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।